खण्ड–10, अंक–8
मंगलवार, 28 माघ, शक संवत् 1925
(17 फरवरी, 2004 ई0)

उत्तरांचल विधान सभा

की

कार्यवाही

–: 0 :–

(अधिकृत विवरण)
(प्रथम विधान सभा)
(तृतीय सत्र, 2003)

(खण्ड 10 में 8 अंक हैं)

उत्तरांचल विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक :
उप निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रुड़की, उत्तरांचल (भारत)
2004

मूल्य :

विषय सूची

विषय	पृष्ठ संख्या
उपस्थिति	क
प्रश्नोत्तर	1–21
नियम 301 के अन्तर्गत सूचनायें	21–22
कालाढूँगी, जनपद नैनीताल में महाविद्यालय की स्थापना के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ...	22
अल्मोड़ा जिले के रानीखेत विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत रानीखेत को जिला बनाये जाने की मांग को नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ...	22
जनपद पौड़ी गढ़वाल की नगरपालिका परिषद्, दुगड्डा के कर्मचारियों को वेतन, सेवानिवृत्त, पेंशन एवं अल्प वेतन–भोगियों को भविष्य में नियमित वेतन भुगतान हेतु नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	23
पंचायतों में रिक्त पड़े ग्राम पंचायत विकास अधिकारियों की संविदा पर नियुक्ति एवं स्नातकोत्तर डिप्लोमा प्राप्त प्रशिक्षितों को नियुक्त किये जाने हेतु नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ...	23–24
जनपद पिथौरागढ़ में स्थित चण्डाक मैग्नासाइट फैक्ट्री को पुनः संचालित किये जाने विषयक नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ...	24
जनपद चमोली में पोखरी के दूरस्थ गांव क्वीठी तथा आसपास के गाँवों में पेयजल समस्या के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	24
जनपद रुद्रप्रयाग के विकास खण्ड ऊखीमठ के अन्तर्गत जूनियर हाई स्कूल त्रियुगी नारायण को उच्चीकरण करने के सम्बन्ध में याचिका	24–25
जनपद रुद्रप्रयाग के अगस्त्यमुनि के अन्तर्गत ग्राम फलई का नाम राजस्व नोटिफिकेशन गजट में रखकर तड़ियाल गांव को निरस्त करने के सम्बन्ध में याचिका ...	25
जनपद रुद्रप्रयाग के अन्तर्गत ग्राम गड़गू ऊखीमठ में प्रधानमंत्री सड़क निर्माण कार्य का शेष कार्य पूरा कराने विषयक याचिका ...	25
जनपद टिंहरी गढ़वाल में थत्यूड़, जौनपुर के नैनबाग–मसूरी मार्ग पर हुई दुर्घटना में मृतक व घायलों को आर्थिक सहायता दिये जाने हेतु याचिका	25
जनपद उत्तरकाशी के चिन्यालीसौड़ मुख्यालय में बालिका इण्टर कॉलेज खोले जाने के सम्बन्ध में याचिका ...	25
जनपद उत्तरकाशी में भटवाड़ी के ग्राम अठाली में पौंरा सेरा आदि तोकों में सिंचाई सुविधा सुलभ कराने हेतु लिफ्ट सिंचाई योजना स्वीकृत करने सम्बन्धी याचिका ...	26

विषय	पृष्ठ संख्या
जनपद चमोली के विकास खण्ड घाट में तहसील निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में याचिका	26
जनपद टिहरी गढ़वाल के भवान जौनपुर (थत्यूड) में एलोपैथिक चिकित्सालय की स्थापना किये जाने विषयक याचिका ...	26
जनपद उत्तरकाशी के चिन्यालीसौड़ की पट्टी गमटी के केन्द्रीय स्थल चमियारी (गमटी) में हाई स्कूल खुलवाये जाने के सम्बन्ध में याचिका	26
जनपद चमोली में चांदीपुर गढ़ी को विकास खण्ड बनाने हेतु याचिका	26–27
कार्य स्थगन प्रस्ताव की सूचनायें	27–38
वित्तीय वर्ष 2004–05 के लेखानुदान की मांगों पर चर्चा एवं मतदान अनुदान संख्या–01, विधान सभा, अनुदान संख्या–03, मंत्रिपरिषद्, अनुदान संख्या–04, न्याय प्रशासन, अनुदान संख्या–05, निर्वाचन, अनुदान संख्या–06, राजस्व व सामान्य प्रशासन, अनुदान संख्या–07, वित्त, कर, नियोजन, सचिवालय तथा अन्य सेवायें, अनुदान संख्या–08, आबकारी, अनुदान संख्या–10, पुलिस एवं जेल, अनुदान संख्या–11, शिक्षा, खेल एवं युवा कल्याण तथा संस्कृति, अनुदान संख्या–12, चिकित्सा एवं परिवार कल्याण, अनुदान संख्या–13, जलापूर्ति, आवास एवं नगर विकास, अनुदान संख्या–14, सूचना, अनुदान संख्या–15, कल्याण योजनायें, अनुदान संख्या–16, श्रम एवं रोजगार, अनुदान संख्या–17, कृषि कर्म एवं अनुसंधान, अनुदान संख्या–18, सहकारिता, अनुदान संख्या–19, ग्राम्य विकास, अनुदान संख्या–20, सिंचाई एवं बाढ़, अनुदान संख्या–21, ऊर्जा, अनुदान संख्या–22, लोक निर्माण कार्य, अनुदान संख्या–23, उद्योग, अनुदान संख्या–24, परिवहन, अनुदान संख्या–25, खाद्य, अनुदान संख्या–26, पर्यटन, अनुदान संख्या–27, वन, अनुदान संख्या–28, पशुपालन सम्बन्धी कार्य, अनुदान संख्या–29, औद्योगिक एवं रेशम विकास (पारित)	38–48
उत्तरांचल विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 2004 (पारित) ...	48–51
उत्तरांचल राज्य के अन्तर्राष्ट्रीय सीमावर्ती ग्रामीण क्षेत्र के विकास के लिए पृथक कार्य योजना बनाये जाने विषयक 103 के अन्तर्गत प्रस्ताव (अस्वीकृत)	51–59
उत्तरांचल लोक सेवा आयोग के प्रथम वार्षिक प्रतिवेदन पर चर्चा (जारी)	59
नियम 51 के अन्तर्गत सूचनायें	59–60
नत्थी	61–62

उपस्थिति

1–श्री अजय भट्ट
2–श्री अनिल नौटियाल
3–श्रीमती अमृता रावत
4–श्रीमती आशा देवी
5–श्रीमती इन्दिरा हृदयेश
6–श्री उम्मेद सिंह मांजिला
7–श्री किशोर उपाध्याय
8–श्री कैलाश शर्मा
9–श्री कौल दास
10–श्री गणेश प्रसाद गोदियाल
11–श्री गोपाल सिंह राणा
12–श्री गोविन्द लाल
13–श्री गोविन्द सिंह कुंजवाल
14–श्री चन्द्रशेखर
15–श्री जोत सिंह गुनसोला
16–श्री तसलीम अहमद
17–श्री तिलक राज बेहड़
18–श्री तेजपाल सिंह रावत
19–श्री दिनेश अग्रवाल
20–श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी
21–श्री नव प्रभात
22–श्री नारायण दत्त तिवारी
23–श्री नारायण राम आर्य
24–श्री नारायण सिंह जंतवाल
25–काजी निजामुद्दीन
26–श्री प्रकाश पंत
27–कुंवर प्रणव सिंह "चैम्पियन"
28–डा0 प्रताप बिष्ट
29–श्री प्रदीप टम्टा
30–श्री प्रीतम सिंह
31–श्री प्रीतम सिंह पंवार
32–श्री प्रेमानन्द महाजन
33–श्री भगत सिंह कोश्यारी
34–श्री मंत्री प्रसाद नैथानी
35–श्री महेन्द्र भट्ट
36–श्री महेन्द्र सिंह माहरा (महू भाई)
37–श्री मातबर सिंह कण्डारी
38–चौ0 यशवीर सिंह
39–श्री रस्सैल वैलेन्टाइन गार्डनर
40–श्री राम प्रसाद टम्टा
41–श्रीमती विजय बड़थ्वाल
42–श्री विपिन चन्द्र त्रिपाठी
43–श्री शूरवीर सिंह
44–डा0 शैलेन्द्र मोहन सिंघल
45–श्री सहजाद
46–श्री साधू राम
47–श्री सुबोध उनियाल
48–श्री सुन्दर लाल मन्द्रवाल
49–श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी
50–श्री हरबंस कपूर
51–श्री हरभजन सिंह चीमा
52–श्री हरिदास
53–श्री हीरा सिंह बिष्ट
54–श्री हेमेश खर्कवाल
55–श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत

मंगलवार, दिनांक, 17 फरवरी, 2004 ई0

(विधान सभा की बैठक सभा मण्डप देहरादून में दिन के 11.00 बजे अध्यक्ष श्री यशपाल आर्य की अध्यक्षता में आरम्भ हुई)

प्रश्नोत्तर

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

उत्तरांचल में विधायक निधि के अन्तर्गत निर्माण कार्यों में तकनीकी कर्मचारियों के अभाव से गुणवत्ता में कमी

**1–श्रीमती विजय बड़थ्वाल–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री को जानकारी है कि उत्तरांचल में विधायक, क्षेत्रीय विकास निधि के निर्माण कार्यों हेतु कार्यदायी संस्थाओं में तकनीकी कर्मचारियों के अभाव के कारण विलम्ब व गुणवत्ता में कमी आ रही है?

यदि हां, तो क्या विधायक क्षेत्रीय विकास निधि के कार्यों के लिये अलग से कार्यदायी संस्था नियुक्त कर दी जायेगी?

यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

ग्राम्य विकास मंत्री (श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी)–

विधायक निधि की कार्यदायी संस्थाओं में तकनीकी स्टाफ की काफी अधिक कमी है जोकि विधायक निधि कार्यों के निष्पादन में होने वाले विलम्ब का एक कारण है। गुणवत्ता में आने वाली कमी का कारण तकनीकी कार्मिकों की कमी नहीं है। गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु विभागीय अधिकारियों के साथ–साथ अभिकरण के तकनीकी स्टाफ द्वारा भी पर्याप्त संख्या में योजनाओं का निरीक्षण किया जाता है।

जी नहीं।

विधायक निधि के अन्तर्गत स्वीकृत योजनाओं/कार्यों की विविधताओं एवं विशिष्टताओं को दृष्टिगत रखते हुए एक कार्यदायी संस्था को नियुक्त किया जाना व्यवहारिक नहीं है।

श्रीमती विजय बड़थ्वाल–

मान्यवर, जैसा कि माननीय मंत्री जी ने उत्तर दिया कि विधायक निधि की कार्यदायी संस्थाओं में तकनीकी स्टाफ की काफी अधिक कमी है। मान्यवर, एक तरफ तो माननीय मंत्री जी कहते हैं कि कमी है, तो दूसरी ओर कहते हैं कि तकनीकी कार्मिकों की कमी नहीं है तो इनके उत्तर में विरोधाभास है। मान्यवर, मैं जानना चाहती हूँ कि जब तकनीकी स्टाफ की कमी है तो ये किस तरह से गुणवत्ता को सही रख सकते हैं? क्या आपने इसका निरीक्षण करवाया कि विधायक निधि के कार्य समय पर किए जा रहे हैं या नहीं? दूसरा निरीक्षण आपने किस तरह किया है कि गुणवत्ता में कमी नहीं आ रही है और काम, समय पर पूरा कराए जा रहे हैं?

श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी--

मान्यवर, माननीय सदस्य ने इसको बहुत गंभीरता से प्रस्तुत किया।

नेता प्रतिपक्ष (श्री मातबर सिंह कण्डारी)--

मान्यवर, लेकिन माननीय मंत्री जी इसको हल्के से ले रहे हैं।

श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी--

मान्यवर, ऐसा नहीं है, मैं पहली बार इतना गंभीर हुआ हूँ। यह सही है कि तकनीकी स्टाफ की कमी है और जैसा कि मैंने स्वीकार किया है कि तकनीकी स्टाफ की कमी होने के कारण इसका अर्थ यह नहीं कि इसकी गुणवत्ता पर असर पड़ रहा है या पड़ रहा होगा। क्योंकि इसकी गुणवत्ता को देखने के लिए इरीगेशन के अधिकारी, माईनर इरीगेशन अधिकारी आदि हैं और शायद आप इस चीज को स्वयं देखते होंगे क्योंकि इसमें हर विधायक का अपना महत्वपूर्ण योगदान होता है और वह कम से कम अपने कार्य को तो जरूर देखता होगा।

मान्यवर, कार्य की गुणवत्ता पर माननीय विधायकों की पैनी नजर होती है। इसलिए गुणवत्ता में कमी का कोई प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री अनिल नौटियाल--

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि एक तरफ तो आप तकनीकी कार्मिकों की कमी की बात कह रहे हैं और दूसरी तरफ कह रहे हैं कि इसका असर कार्यों की गुणवत्ता पर नहीं पड़ेगा। मान्यवर, आज की तिथि तक वर्ष 2002--2003 के जो कार्य विधायक निधि के द्वारा पूर्ण किये जा चुके हैं, उनका भुगतान अभी तक नहीं किया गया है। इसके लिए भी कोई व्यवस्था करनी चाहिए कि जो कार्य पूर्ण हो चुके हैं, उनका भुगतान शीघ्र किया जाये क्योंकि भुगतान न करने से काम करने वालों को काफी परेशानी हो रही है। मान्यवर, इसके भुगतान की व्यवस्था भी सुनिश्चित की जाये।

श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी--

मान्यवर, कार्य पूर्ण होने के बाद भी यदि भुगतान नहीं हुआ है तो माननीय सदस्य स्पेसिफिक सूचना दें, इसे दिखवा लिया जायेगा।

श्रीमती विजय बड़थ्वाल--

मान्यवर, विधायक निधि से सही रूप में कार्य हो, ऐसा सभी माननीय सदस्य चाहते हैं। लेकिन कार्यदायी संस्थाओं द्वारा सही कार्य नहीं किया जाता है। अभी माननीय मंत्री जी ने कहा कि हमारे पास तकनीकी स्टाफ की कमी है। क्या इसको बढ़ाने के लिए कोई प्रयास किये जा रहे हैं? क्या इसके लिए कार्यदायी संस्था अलग से बनाएंगे? विधायक निधि के कार्यों को बहुत ही हल्केपन से लिया जाता है, इससे विकास की भावना अवरुद्ध हो रही है। जिस तरह से विधायक निधि के कार्य होने चाहिएं, वह नहीं हो पा रहे हैं। माननीय मंत्री जी गम्भीरता से विचार करके सदन को अवगत कराएं।

श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी–

मान्यवर, अभी माननीय सदस्य ने बहुत अच्छी इच्छा जाहिर की। मान्यवर, सही गुणवत्ता को सर्वोच्च प्राथमिकता देना हमारी प्रथम प्राथमिकता है। इसके लिए शासन स्तर पर निरंतर प्रयास किये जा रहे हैं। हमारे पास तीन एजेन्सियां हैं जिनके माध्यम से तकनीकी जानकारी उपलब्ध कराई जाती है। डी0आर0डी0ए0 के ए0ई0 और जे0ई0, माईनर इरीगेशन के जे0ई0, आर0ई0एस0 के जे0ई0, जिला पंचायत के जे0ई0, ये लोग तकनीकी सहायता देते हैं। मान्यवर, डी0आर0डी0ए0 में उच्च न्यायालय के आदेशों के कारण हम नियुक्तियां नहीं कर पा रहे हैं। हमने आर0ई0एस0 में भी जे0ई0 की नियुक्तियों हेतु प्रयास किया है। इसका कार्य चल रहा है। मान्यवर, बी0डी0ओ0 ब्लॉक स्तर पर एक एजेन्सी के रूप में कार्य करता हैं। 33 बी0डी0ओ0 हमारे पास है। बी0डी0ओ0 के पद पर नियुक्तियों के लिए पब्लिक सर्विस कमीशन को लिखा गया है। इसकी कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गई है।

निश्चित रूप से उनकी नियुक्ति हो जायेगी। इसके साथ ही साथ मुझे सदन को यह बताते हुये खुशी हो रही है कि मैंने माननीय सदस्या के क्षेत्र का भ्रमण किया था और वहां पर विधायक निधि से जो कार्य हो रहे हैं उन्हें देखा, वे ठीक हो रहे हैं, मैने वहां के कार्यों को देखा और आप भी समय–समय पर वहां निरीक्षण करती हैं और उनको दिशा निर्देश भी देती है।......(व्यवधान)

श्री प्रकाश पंत–

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में ग्राम्य विकास अधिकरण पर हाईकोर्ट के स्टे का जिक्र किया था लेकिन यह क्यों हुआ, उसका उल्लेख उन्होंने नहीं किया, हो सकता है उसकी पूरी जानकारी उन्हें न हो, मैं भी इसकी गहराई में नहीं जाना चाहता हूँ लेकिन मैं यह जानना चाहूंगा कि माननीय मंत्री जी ने कहा कि विधायक निधि के कार्यों में गुणवत्ता में कमी का कारण तकनीकी कार्मिकों की कमी नहीं है। मैं जानना चाहता हूं कि गुणवत्ता में कमी की शिकायतें माननीय सदस्य और जनता अधिकतर करती रहती है। तकनीकी स्टाफ की कमी उसका कारण है, हो सकता है कि उन्होंने कोई निष्कर्ष निकाला होगा कि गुणवत्ता की कमी का कारण क्या है। उसे बतायें? दूसरा ग्राम्य विकास अधिकरण पहले एक कार्यदायी संस्था थी और वह विधायक निधि के कार्य कराती थी, उसे कार्यदायी संस्था नहीं बनाया जाय इसका एक आदेश हुआ था, अब वह कार्यदायी संस्था नहीं है तो क्या माननीय मंत्री जी अवगत करायेंगे कि वह ग्राम्य विकास अधिकरण को मान्यता देंगे, ताकि विधायक निधि एवं विकास के कार्यों का सम्पादन उसके द्वारा हो सके।

श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी–

मान्यवर, ग्राम्य विकास अधिकरण अभी भी कार्यदायी संस्था के रूप में कार्य कर रही है।

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

यदि आप लोगों की बातें पूरी हो गई हों तो मैं आपके प्रश्न का उत्तर दे दूं।

(सदन में मोबाइल की ध्वनि सुनाई देने पर)

श्री अध्यक्ष–

माननीय त्रिवेन्द्र जी कृपया मोबाइल बंद कर दें।

श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी–

मान्यवर, जैसा कि गुणवत्ता में कमी की बात है तो हम प्रयास कर रहे हैं कि ऐसी शिकायतें न आयें। जिस प्रकार विधायकों की आवश्यकतायें होती हैं, जनता की आवश्यकतायें होती हैं, जनता की मांग होती है उसी के अनुसार कार्य कराये जाते हैं और यह कार्य विकास खण्ड स्तर पर भी होते हैं, जिला पंचायतों, विद्युत विभाग, लोक निर्माण विभाग, नगरपालिका परिषद्, जल निगम, सिंचाई विभाग, नगर निगम......।

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर घोर व्यवधान)

मान्यवर, हमारी बहुत ही सुलझी हुई सदस्या हैं और उन्हीं का यह प्रश्न है। गुणवत्ता को लेकर आपने चिन्ता व्यक्त की, इस पर हमारी सरकार, हमारा विभाग काफी गंभीर है।

(व्यवधान)

श्री विपिन चन्द्र त्रिपाठी–

मान्यवर, जैसा कि मंत्रीजी

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी–

मान्यवर, मैं आज भी सदन को अवगत कराना चाहता हूँ कि अगर कार्य में गुणवत्ता की कमी की कोई शिकायत आती है तो आप हमें सूचित कीजिए, हम उसे दूर करने का प्रयास करेंगे और उसमें जो भी कर्मचारी या अधिकारी दोषी होगा, उसके विरुद्ध दण्डात्मक कार्रवाई करेंगे।

श्री हरबंस कपूर–

मान्यवर, कोई भी कार्य अच्छा हो, इसके लिए यह जरूरी है कि उसमें गुणवत्ता और समयबद्धता का विशेष ध्यान रखा जाए। निश्चित रूप से मैं माननीय मंत्री जी की इस बात से किसी हद तक सहमत हूँ क्योंकि प्रत्येक कार्य जो विधायक निधि से प्रस्तावित होते हैं, उसमें विधायक अपनी देख–रेख में विशेष ध्यान देकर यह सुनिश्चित करने का प्रयास करते हैं कि उस कार्य में गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखा जाए। दूसरी बात यह है कि एक निश्चित कार्यदायी संस्था न होने के कारण समय–समय पर विभिन्न कार्यों में जो समयबद्धता होनी चाहिए, वह नहीं हो पाती, जिस समस्या के समाधान के लिए उस कार्य को चयनित किया जाता है, वह समय पर पूरा न होने के कारण काफी परेशानी होती है। मान्यवर, मेरा माननीय मंत्री जी से निवेदन है कि चाहे विधायक निधि हो, चाहे सांसद निधि हो, अब यह व्यवस्था स्थायी रूप से बन गयी है कि प्रत्येक विधायक निधि के माध्यम से कार्य होने हैं और प्रचुर मात्रा में होने हैं। इसी तरह सांसद निधि से भी कार्य होने हैं।

श्री अध्यक्ष–

कृपया प्रश्न पर आ जाएं।

श्री हरबंस कपूर–

मान्यवर, मैं यह कहना चाहता हूँ कि एक कार्यदायी संस्था सुनिश्चित की जाए। जिससे कि सारे कार्य उसी कार्यदायी संस्था द्वारा किए जाएं। इस प्रकार समयबद्धता भी सुनिश्चित हो जाएगी। मेरा माननीय मंत्री जी से निवेदन है कि इस बात को सुनिश्चित करें कि एक कार्यदायी संस्था इसके लिए निर्धारित की जाए, जो समस्त विधायक निधि और सांसद निधि के कार्यों की देख–रेख करे और समय पर कार्य पूरा किया जा सके।

श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी–

मान्यवर, माननीय कपूर साहब ने बहुत अच्छा प्रश्न किया। उनके लम्बे अनुभव के कारण विधायक निधि के बारे में उनकी चिन्ता स्वामाविक है। लेकिन हमारे सामने सबसे बड़ी समस्या यह आती है कि विधायकों को अपनी रूचि के हिसाब से कार्यों का सम्पादन करने के लिए इंगित किया जाता है। इसमें यह प्राविधान भी है कि वह चाहे जिस भी संस्था से काम कराना चाहे, इसके लिए उसे छूट है। प्रत्येक कार्य की अलग प्रकृति, विशिष्टता और विविधता होती है। इसलिए यह संभव नहीं है कि किसी एक एजेन्सी को इसके लिए निर्धारित कर दिया जाए। यदि एक संस्था निर्धारित कर दी जाएगी तो उससे विधायकों में एक नया असंतोष पैदा हो सकता है।

श्री विपिन चन्द्र त्रिपाठी–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ चाहे आर0ई0एस0 या जिला पंचायत या ब्लॉक, किसी भी संस्था से कार्य कराए जाएं, **[x-x-x]** मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि क्या इसको नियंत्रित करने के लिए आप कुछ प्रयास करेंगे?

श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी–

मान्यवर, सम्मानित सदस्य श्री विपिन चन्द्र त्रिपाठी जी द्वारा बहुत ही गम्भीर प्रश्न उठाया गया है कि विधायक निधि द्वारा जो निर्माण कार्य कराया जा रहा है, उसमें कमीशन लिया जा रहा है तो वास्तव में यह बहुत ही शर्म की बात है और मैं स्वयं अपने आपको शर्मशार महसूस करता हूँ।

श्री विपिन चन्द्र त्रिपाठी–

मान्यवर, विधायक निधि द्वारा जो निर्माण कार्य कराया जा रहा है उसके बारे में मात्र यही कि अधिकारी कर्मचारी ही कमीशन ले रहे **[x-x-x]** इस सम्बन्ध में एक उच्च स्तरीय जांच किसी भी एजेंसी से कराई जाए।

श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी–

मान्यवर, यह तो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। जो भी अधिकारी या कर्मचारी इसमें लिप्त हैं, उनके बारे में हमें अवगत करायें, हम इस सम्बन्ध में शीघ्र ही कठोर कार्यवाही करेंगे। जैसा कि माननीय सदस्य ने अवगत कराया [x-x-x] जो कि एक गम्भीर मामला है। फिर भी मैं इतना जरूर कहूंगा कि किसी भी निर्माण कार्य में कमीशनखोरी

नोट :–**[x-x-x]** यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

नहीं होनी चाहिए। यह एक नवोदित राज्य है। हमें निर्माण कार्यों में मिले एक–एक पैसे को उत्तरांचल की माटी में लगाना होगा, तभी हमारा विकास का स्वप्न साकार होगा और जो लोगों की भावनाएं हैं, आकांक्षाएं हैं, वह पूरी होंगी। निर्माण कार्य में हम लोगों का बहुत बड़ा योगदान होगा। हम लोगों की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। हमें कमीशनखोरी पर अंकुश लगाना होगा।

श्री अध्यक्ष–

माननीय श्री विपिन चन्द्र त्रिपाठी द्वारा विधायक निधि में कमीशनखोरी के सम्बन्ध में अधिकारी/कर्मचारी के अतिरिक्त जो सन्दर्भ दिये हैं, कार्यवाही से निकाल दिये जाएं।

श्री विपिन चन्द्र त्रिपाठी–

मान्यवर, मैंने किसी पर आरोप नहीं लगाया है, यह जनता में आम चर्चा है। इस सम्बन्ध में, मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि इस पर जांच की जानी चाहिए, किसी भी एजेंसी से, विजिलेंस से जांच कराई जानी चाहिए।

श्री मातबर सिंह कण्डारी–

मान्यवर, माननीय श्री विपिन चन्द्र त्रिपाठी जी द्वारा जो बिन्दु उठाया गया है, यह बात गलत नहीं है। इसमें कोई दो राय नहीं हैं, 20 से 35 प्रतिशत तक कमीशन लिया जा रहा है विधायक निधि में।

श्री अध्यक्ष–

मान्यवर, इस सम्बन्ध में आप प्रमाण उपलब्ध करा दें।

श्री मातबर सिंह कण्डारी–

मान्यवर, इस सम्बन्ध में मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को पत्र लिख चुका हूं तथा इस सम्बन्ध में लोकायुक्त को भी पत्र लिख चुका हूं। माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि सरकार इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही कर रही है?

श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी–

मान्यवर, माननीय नेता प्रतिपक्ष महोदय ने बहुत ही गम्भीर बात कही है, इस सम्बन्ध में मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि यदि कोई भी माननीय सदस्य किसी भी निर्माण योजना पर कमीशनखोरी की बात को हमारे संज्ञान में लाएगा तो हम निश्चित रूप से उसकी विजिलेंस जांच करवायेंगे।

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, विधायक निधि की धनराशी जो है, तो उसके बारे में यह ज्ञात हुआ है कि उस पर एक शर्त लगा दी थी कि इस धनराशि में से 25 लाख की धनराशी को सड़कों पर ही विधायकगण खर्च करेंगे। मान्यवर, मैं यह जानना चाहता हूं कि इस तरह का कोई आदेश गया था? यदि गया था तो किन परिस्थितियों में गया था, क्या यह गाईड लाईन के विरुद्ध नहीं है?

श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी–

मान्यवर, अभी जो बात माननीय अजय भट्ट जी ने 25 लाख रु0 की धनराशि विधायक निधि से सड़कों पर खर्च करने की बात कही है, यह सही है। इसका शासनादेश जारी हुआ था। सरकार की मंशा यह थी कि सारे सदस्यों द्वारा सड़कों की मांगें उठायी जाती रही हैं। थोड़ा पीछे मुड़कर देखें, पूर्ववर्ती राज्य उत्तर प्रदेश ने गड्ढे ठीक करने की एक योजना चलायी थी। अभी भी जब हम हरिद्वार तथा सहारनपुर जाते हैं तो वहां पर इसके बोर्ड लगे हुए हैं। मान्यवर, सरकार की यही मंशा थी कि जहां–जहां ये गड्ढे ठीक नहीं हुए हैं, इस योजना से उन्हें ठीक कराया जायेगा।

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, क्या नियमावली में संशोधन किया गया था? (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी–

मान्यवर, गाईड लाईन में था।

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, जो धनराशि का उपयोग नहीं हो पाया है, उसके जिम्मेदार कौन हैं?

श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी–

मान्यवर, 25 लाख रु0 की धनराशि को गड्ढा निर्माण, सी0सी0 रोड निर्माण में खर्च किया जायेगा। मान्यवर, इस धनराशि के बारे में सभी माननीय सदस्यों ने आग्रह किया था। खासकर नेता प्रतिपक्ष ने आवाज उठायी थी। लेकिन सरकार ने 25 लाख रु0 की घोषणा कर डाली। मान्यवर, इसका जी0ओ0 अभी–अभी जारी हुआ है।

श्री हरभजन सिंह चीमा–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि विधायक निधि का जो कार्य जिला स्तर पर किया जाता है। यह कार्य क्या माननीय विधायकगण बिना विकास अधिकारी की परमीशन से, कहां–कहां पर यह कार्य कराना है, कर सकते हैं तथा क्या माननीय विधायकगण किसी संस्था को यह कार्य दे सकते हैं?

श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं सम्मानित सदस्य चीमा जी को अवगत कराना चाहता हूं कि जब आप अपनी कोई भी योजना सी0डी0ओ0 के पास भेजते हैं तो उसमें कार्यदायी संस्था के लिए एक कॉलम बना लें।

उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 1958 के नियम 29(4) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न

*1–श्री प्रीतम सिंह पंवार–

विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त।

उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, ,1958 के नियम 38(2) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त, तारांकित स्थगित प्रश्न

उत्तरांचल राज्य में पूर्व विधायकों की संख्या एवं उन्हें प्राप्त सुविधायें

*1–काजी निजामुद्दीन–

क्या संसदीय कार्य मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि उत्तरांचल राज्य में कुल कितने पूर्व विधायक हैं? और उन्हें सरकार क्या–क्या सुविधायें दे रही है?

संसदीय कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा हृदयेश)–

जिलाधिकारियों से प्राप्त सूचना के आधार पर उत्तरांचल में कुल 68 पूर्व विधायक हैं, जिनमें प्रदेश से बाहर के 01 पूर्व विधायक भी सम्मिलित हैं।

पूर्व विधायकों को नियमानुसार निम्न सुविधायें अनुमन्य हैं :–

1. अपने तथा अपने परिवार के सदस्यों के प्रयोगार्थ दस हजार रुपये प्रतिवर्ष से अनधिक मूल्य के रेल कूपन;

2. निःशुल्क असंक्रमणीय बस पास;

3. जिन माननीय सदस्य ने सदस्य के रूप में किसी भी अवधि के लिए कार्य किया हो, वे अपने जीवनपर्यन्त एक हजार पांच सौ रुपये प्रतिमास की दर से पेंशन, परन्तु जहां किसी व्यक्ति ने उपर्युक्तानुसार एक वर्ष से अधिक अवधि के लिए कार्य किया हो, वहां वह एक वर्ष से अधिक प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिए दो सौ रुपये प्रतिमास की दर से अतिरिक्त पेंशन;

4. कतिपय निर्बन्धनों के अधीन निवास स्थान का निर्माण या क्रय करने हेतु धारा 17–क के अधीन प्रति संदेय अग्रिम;

5. पेंशन प्राप्त करने वाले पूर्व विधायकों तथा उनके परिवार के आश्रितों को प्रदेश के राजकीय अस्पतालों, डिस्पेन्सिरियों में उसी स्तर और उसी सीमा तक निःशुल्क चिकित्सा सुविधायें, जैसी उन्हें विधायक के रूप में प्राप्त थीं।

जहां तक उक्त अनुमन्य सुविधाओं को दिये जाने का प्रश्न है, उत्तरांचल राज्य के कुल 68 विधायकों में से अधिकतर मा0 सदस्यों द्वारा राज्य गठन से पूर्व पूर्ववर्ती राज्य उत्तर प्रदेश विधान सभा/परिषद् में उत्तरांचल का प्रतिनिधित्व किया गया है। ऐसे पूर्व विधायकों को पूर्ववर्ती राज्य उ0प्र0 द्वारा अनुमन्य सुविधायें दी जाती रही हैं। ऐसे पूर्व विधायकों को सुविधायें पूर्ववर्ती राज्य उ0प्र0 द्वारा प्रदत्त न किये जाने की दशा में पुनर्गठन विभाग के माध्यम से तदनुसार कार्यवाही की जायेगी।

उक्त के अतिरिक्त उत्तरांचल राज्य के गठन के फलस्वरूप अन्तरिम विधान सभा के सदस्यों को पेंशन स्वीकृति की कार्यवाही प्रचलित है। उन्हें दस हजार रु0 मूल्य के रेलवे कूपन अनुमन्य किये गये हैं और नियमानुसार चिकित्सा प्रतिपूर्ति भी की जा रही है। रोडवेज बस–पास की सुविधा भी प्राविधानित है।

काजी निजामुद्दीन–

माननीय अध्यक्ष जी, रुड़की में पूर्व विधायक श्री पृथ्वी सिंह विकसित जी 10 हजार के कूपन लेने के लिए लखनऊ गये थे तो उनसे कूपन के लिए मना कर दिया गया। मान्यवर, मैं जानना चाहता हूँ कि पूर्व विधायकों के कूपन के लिए क्या हो रहा है? मान्यवर, दूसरा प्रश्न है कि अन्तरिम विधानसभा के सदस्यों का फैसला कब तक हो जायेगा?

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, आपने पूछा कि उत्तर प्रदेश के विधायकों को कूपन की सुविधा नहीं मिल रही है, तो यह सही है। मान्यवर, ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि पुनर्गठन की बैठक नहीं हो पाई है। मान्यवर, अन्तरिम विधानसभा के मैम्बर्स के फैसले हमें लेने हैं और उसमें जो मुझे पत्र प्राप्त हुआ, उसमें अधिकतर नो ड्यूज का मामला है। मैंने अध्ययन किया तो स्पष्ट हुआ कि जो लोग विधायक के रूप में आवास में रह रहे थे, उन्हें बाद में साढ़े सात हजार रुपया दे दिया गया। मान्यवर, वे उसमें रह रहे हैं या नहीं, इस बात पर अभी निर्णय लेना है। ऐसे मात्र दो विधायक हैं जिन पर कोई ड्यूज नहीं है, लेकिन जिन पर ड्यूज है, उस पर हम शीघ्र निर्णय ले लेंगे।

काजी निजामुद्दीन–

मान्यवर, जब तक पुनर्गठन आयोग फैसला नहीं लेगा क्या तब तक ऐसे ही चलता रहेगा? मान्यवर, श्री राम सिंह सैनी जी उत्तर प्रदेश के विधायक हैं। मान्यवर, आज तो लाल बत्ती के माध्यम से सुविधा दी जा रही है, लेकिन पूर्व विधायकों के मामले लटकाये जा रहे हैं?

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, जो पूर्व विधायक उत्तर प्रदेश में थे, उनके लिए हम गम्भीर हैं। मान्यवर, उत्तर प्रदेश ने कूपन देने से मना कर दिया है, चूंकि अभी फैसला नहीं हो पाया है।

मान्यवर, जो पूर्व विधायक रहे हैं, उनके खर्च का आंकलन किया जा रहा है और बातचीत भी हुई है।

श्री भगत सिंह कोश्यारी–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूँ कि जब बहुत से मामले हम हल नहीं कर पाते हैं, उत्तर प्रदेश हल नहीं कर पाता है तो हम केन्द्र सरकार के पास जाते हैं, क्या आप इस मामले को लेकर केन्द्र के पास गए?

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, केन्द्र सरकार के पास जाने की आवश्यकता इसलिए नहीं है कि दोनों प्रदेशों के पुनर्गठन की बैठकें नहीं हो पाई।

श्री सुबोध उनियाल–

मान्यवर, क्या कोई माननीय सदस्य अपने घर के किसी सदस्य के बारे में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सवाल उठा सकता है?

(व्यवधान)

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, 2003 तक उत्तर प्रदेश सुविधा दे रहा था। उत्तर प्रदेश भी भ्रम में रहा कि ये अब उत्तरांचल में रहते हैं, लेकिन अब उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट मना कर दिया और यह सही है कि ये बहुत पुराने लोग हैं और जो नियमावली के अनुसार उनको सुविधा अनुमन्य है, उनको देने पर हमने विचार किया है।

तारांकित प्रश्न

राजपुर जाखन देहरादून में सचिवों के आवास एवं विधायकों के लिए ट्रांजिट हॉस्टल का मानक

*1–श्री मातबर सिंह कण्डारी–

क्या राज्य सम्पत्ति मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राजपुर जाखन में सचिवों के आवास पर कुल कितना खर्च हुआ तथा एक आवास की निर्माण लागत क्या है?

क्या यह सत्य है कि विधायकों के लिए ट्रांजिट हॉस्टल का निर्माण किया गया है?

यदि हां, तो एक तरफ सचिवों के लिए स्थायी निवास बनाये गये हैं, तो दूसरी तरफ विधायकों के लिए ट्रांजिट हॉस्टल के निर्माण का क्या औचित्य है?

सरकार द्वारा प्रदेश में दो मानक अपनाये जाने के क्या आधार हैं?

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

राजपुर स्थित टिहरी हाउस परिसर में सचिवों के 14 आवासों पर कुल रुपये 350.00 लाख का खर्च हुआ। एक आवास की निर्माण लागत रुपये 25.00 लाख है।

जी हां।

मा0 विधायकगण के लिए ट्रांजिट हॉस्टल का निर्माण शासन एवम् विधान सभा सचिवालय द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुसार किया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री मातबर सिंह कण्डारी–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि माननीय विधायकगणों के लिए ट्रांजिट हॉस्टल का निर्माण शासन और विधान सभा सचिवालय द्वारा किया गया और सचिवों के आवास के लिए यह आदेश किसके माध्यम से हुआ, यह जानकारी चाहता हूँ। मान्यवर, दूसरा प्रश्न यह है कि जो इन आवासों की कीमत रु0 25 लाख बतायी गयी है, क्या इसमें जमीन का मूल्य, सड़क, बिजली एवं पानी का भी मूल्य है? और तीसरा प्रश्न यह है कि माननीय विधायकगण और सचिवगण में यह अन्तर भेद क्यों किया गया अर्थात् विधायकों के लिए ट्रांजिट हॉस्टल बनाया गया, उसकी लागत क्या है? मेरे ख्याल में 8–10 लाख रु0 होगी। मान्यवर, मैं आपका संरक्षण चाहता हूँ, एक तरफ तो सचिवों के लिए आलीशान भवन बना दिए और दूसरी तरफ विधायकों के लिए छोट–छोटे कमरे बनाए गए, वहां पर रोशनदान नहीं हैं, खिड़कियां नहीं हैं, पार्किंग नहीं है, कैन्टीन नहीं है।

(श्री सुबोध उनियाल के अपने स्थान पर बैठे–बैठे कुछ कहने पर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

उनियाल जी, कृपया शांत रहें।

श्री मातबर सिंह कण्डारी–

मान्यवर, हम तो यह कहना चाहते हैं कि माननीय मंत्रियों को प्रोटोकॉल का ध्यान रखना चाहिए। जब तक माननीय अध्यक्ष जी नहीं बोलते हैं तब तक किसी को नहीं बोलना चाहिए। आप व्यवधान करते हैं इसलिए हमें भी करना पड़ता है।

(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष जी, यह गम्भीर मुद्दा है, एक तरफ तो विधायकों के लिए ट्रांजिट हॉस्टल का निर्माण हो रहा है और दूसरी तरफ सचिवों के लिए आलीशान भवन बनाए जा रहे हैं, विधायकों के लिए जो ट्रांजिट हॉस्टल बनाए गए हैं, उनमें रोशनी की व्यवस्था नहीं है, पार्किंग की व्यवस्था नहीं है, कैन्टीन की व्यवस्था नहीं है।

मान्यवर, मैं कहना चाहता हूँ कि ये मापदण्ड किस आधार पर कर रहे हैं और विधायक के साथ अन्याय क्यों कर रहे हैं?

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, माननीय कण्डारी जी सम्भवतया पिछली सरकार में मंत्री रहे हैं। इस परियोजना का अनुमोदन दिनांक 24–12–2001 को तत्कालीन मुख्यमंत्री जी द्वारा किया गया। सचिव आवास में जो निर्मित आवास हैं, 14 डुप्लैक्स जिन पर कुल व्यय रु0 350.00 लाख, प्रति आवास व्यय रुपये 25.00 लाख, प्रति आवास कुल लिविंग क्षेत्रफल 2200 वर्ग फिट लगभग है। अपर सचिव आवास में निर्मित आवास 20 फ्लैट हैं, इन पर कुल व्यय रु0 246.00 लाख, प्रति आवास व्यय रु0 12.30 लाख, प्रति आवास कुल लिविंग क्षेत्रफल 1200 वर्ग फिट लगभग है। सचिव आवास एवं अपर सचिव आवास एक ही परिसर में स्थित हैं। सम्पूर्ण परिसर के स्थलीय विकास, पहुंच मार्ग, बाह्य विद्युतीकरण, जलापूर्ति, पानी की निकासी व्यवस्था, चाहरदीवारी, प्रवेश द्वार के निर्माण पर रु0 82.36 लाख अतिरिक्त व्यय हुआ। सचिव आवासों के निर्माण हेतु कार्यदायी संस्था लोक निर्माण विभाग एवं अपर सचिवों के आवास हेतु कार्यदायी संस्था भारत सरकार का प्रतिष्ठान ई0पी0आई0एल0 थी। मान्यवर, ट्रांजिट हॉस्टल के लिए भूमि चयन एवं ट्रांजिट हॉस्टल निर्माण किये जाने का निर्णय विधान सभा की तत्कालीन आवास समिति का था, जिस पर तत्कालीन मा0 विधान सभा अध्यक्ष एवं शासन का अनुमोदन था। ट्रांजिट हॉस्टल का अनुमोदन तत्कालीन मा0 अध्यक्ष, विधान सभा एवं तत्कालीन मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा दिनांक 04–12–2001 को किया गया। विधान सभा सचिवालय द्वारा ट्रांजिट हॉस्टल के प्लान को दिनांक 11 जनवरी, 2002 को तथा 17 जनवरी, 2002 को स्वीकृत किया गया। मान्यवर, ट्रांजिट हॉस्टल का विवरण इस प्रकार है–एक फ्लैट का सम्पूर्ण क्षेत्रफल लगभग 950 वर्ग फिट, कुल फ्लैट 72, कुल अवमुक्त धनराशि रु0 809.93 लाख, ट्रांजिट हॉस्टल परिसर का क्षेत्रफल 2.15 एकड़ है। ट्रांजिट हॉस्टल चार मंजिला भवन है, जिसमें कुल 72 यूनिटें हैं। इनमें से 32 यूनिटों का निर्माण कार्य उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम तथा 40 यूनिटों का निर्माण कार्य उत्तर प्रदेश जल निगम (कंस्ट्रक्शन एण्ड डिजाइन विंग) द्वारा किया गया है। ट्रांजिट हॉस्टल के निर्माण हेतु कुल रु0 809.93 लाख में से उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम को रु0 392.64 लाख तथा उत्तर प्रदेश जल

निगम को रु0 417.29 लाख की वित्तीय स्वीकृति दी जा चुकी है। 72 फ्लैट, विद्युत, स्ट्रीटलाइटिंग एवं जैनेरेटर कक्ष निर्माण पूर्ण हो चुके हैं। कॉमन रूम कैन्टीन, डोरमिट्री का निर्माण यथासमय पूर्ण कर दिया जायेगा। एक फ्लैट में एक स्टडी रूम, एक बैड रूम, एक ड्राइंग रूम, एक लॉबी, दो बाथरूम, एक किचन, एक स्टोर, एक टैरस है। मान्यवर, इसमें जो सारी कार्यवाही हुई, वह पूर्व मुख्यमंत्री के कार्यकाल में हुई, वह नक्शा भी उस समय का पारित था फिर इसमें तत्कालीन अध्यक्ष द्वारा सुधार किया गया। यह पूरा डिजाइन उसी समय का है। यह नये विधायकों के आगमन की दृष्टि से किया गया मगर यह उस समय तक तैयार नहीं हुआ था। मैं इसे स्वयं देखने गई थी। जब इसके शिलान्यास की बात आई तो मुख्य सचिव ने अपने पत्र द्वारा लिखा कि मेरे विचार में एक मुख्य बिन्दु यह है कि ट्रांजिट हॉस्टल के पीछे निहित अवधारणा यह है कि माननीय विधायकों के लिए व्यवस्था आवास रूपी न होकर हॉस्टल/ अस्थाई आवासीय होती है। इसलिए जब सबसे पहले शिलान्यास विधायक निवास/आवास के रूप में प्रस्तावित हुआ था तब ट्रांजिट हॉस्टल के नाम से निर्माण कराये जाने का निर्णय तत्कालीन माननीय अध्यक्ष विधान सभा एवं माननीय मुख्यमंत्री जी के स्तर पर लिया गया था। तत्कालीन मुख्य सचिव, मधुकर गुप्ता। मान्यवर, मैंने देश भर में देखा जैसे जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र, बंगलौर और उत्तर प्रदेश। उन सबमें यह सबसे अच्छा है, खुली जगह है। खुली हवा है, स्थान सुन्दर है, पार्किंग की भी व्यवस्था है और ड्राईवरों के रहने के लिए भी जगह है, इसमें सारे नक्शे का निर्माण है। मुझे तो विधायक के रूप में एक कमरे में रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है और यहां पर जो भी विधायक हैं जब उत्तर प्रदेश में थे तो वहां पर ऐसे कमरे थे जिसमें कि सांस लेना भी दूभर हो जाता है। यह बहुत ही अच्छा बना हुआ है और इसके लिए मैं तत्कालीन सरकार को बधाई देती हूँ।

श्री मातबर सिंह कण्डारी–

मान्यवर, हर प्रश्न पूछने में कोई न कोई उद्देश्य निहित रहता है, हम स्वीकार करते हैं कि विधायकगण एक कमरे में रहे हैं। हम तो एक झोपड़ी में भी रहने को तैयार हैं लेकिन मेरा कहना यह है कि एक तरफ तो विधायकों के लिए छोटे–छोटे कमरे बनाए जा रहे हैं और कम लागत पर बनाए जा रहे हैं और दूसरी तरफ सचिवों के लिए आलीशान भवन बनाए जा रहे हैं। मैं इसके लिए अपनी पूर्व सरकार को बधाई देता हूँ कि उसने मितव्ययिता का ध्यान रखा और कार्य किया।

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, सचिव आवास भी तत्कालीन सरकार का निर्णय है।

श्री मातबर सिंह कण्डारी–

मान्यवर, मैं यह नहीं कह रहा हूँ। मान्यवर, चाहे वह किसी भी सरकार का निर्णय हो। लेकिन जो बात है कि विधायकगणों और सचिवों में भेद–भाव क्यों किया गया?

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, हमने दोनों नक्शे देखे। हमने सचिव आवास भी देखा। आवास के रूप में शिलान्यास नहीं किया। ट्रांजिट हॉस्टल रखा। मान्यवर, जैसा कि और राज्यों में विधायकों को स्थायी आवास नहीं मिलते। तमिलनाडु, कर्नाटक में नहीं है और उत्तर प्रदेश

इसमें प्रमुख रहा है। मान्यवर, एक परम्परा की ओर ध्यान दिलाते हुए हम कह सकते हैं कि हमको तुलनात्मक भेद नहीं करना चाहिए और जो ट्रांजिट हॉस्टल बना है उसमें खुली जगह है, चौड़ी सड़कें बनवा दी जायेंगी।

श्री मातबर सिंह कण्डारी–

मान्यवर, हम इससे सहमत नहीं हैं। मान्यवर, जो ट्रांजिट हॉस्टल में कमरे बने हैं हाल के रूप में, वह कमरे के बराबर हैं, हाल नहीं हैं। मैं कहना चाहता हूँ कि इसमें माननीय मंत्री जी पुनर्विचार करें। मान्यवर, यह कोई मेरी पीड़ा नहीं है, हम सब विधायकों की पीड़ा है जिसको हमने समझा और यहाँ कही और आपके सामने व्यक्त कर रहा हूँ। यह सब हम लोगों की पीड़ा है।

काजी निजामुद्दीन–

मान्यवर, यह जो विधायक आवास या फिर सचिव आवास बन रहे हैं तो क्या उत्तरांचल की राजधानी देहरादून स्थायी राजधानी कर दी गयी है?

मान्यवर, अगर यह अस्थाई राजधानी है तो इन बिल्डिगों का बाद में क्या होगा?

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, उस समय की परिस्थितियों में इसे अस्थाई राजधानी के रूप में घोषित किया गया था। और मान्यवर, जब आ गये तो रहने की व्यवस्था करनी ही पड़ेगी। इसलिए तत्कालीन सरकार ने इनका निर्माण कराया। विधायकों के रहने की व्यवस्था तो करनी ही होगी। इसलिए इसकी व्यवस्था तत्कालीन सरकार और विधान सभा ने की।

श्री विपिन चन्द्र त्रिपाठी–

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि इस पूरी बहस से यह साफ हो गया है कि दिनांक 24–12–2000 को यह निर्णय लिया गया और दूसरी सरकार ने भी इसे डिट्टो किया। मान्यवर, अगर यह स्थाई राजधानी है तो माननीय विधायकों के लिए भी स्थाई आवास की व्यवस्था की जा सकती थी। तो मान्यवर, क्या यह मान लिया जाये कि भारतीय जनता पार्टी और आपकी सरकार दोनों ने देहरादून को स्थाई राजधानी के लिए मन बना लिया है।

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, अगर प्रश्न के लिए प्रश्न है तो मैं उत्तर दे देती हूं। (व्यवधान) जब विधायक रहेंगे तो आवास बनेंगे, सचिव रहेंगे तो आवास बनेंगे। (कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

श्री हरिदास–

मान्यवर, मैं जानना चाहता हूँ कि सचिव का प्रोटोकाल क्या है और एक विधायक का प्रोटोकाल क्या है? सचिव को कितना किराया हाउस का मिलता है और विधायकों को कितना मिलता है? सचिवों के आवास में कितना धन खर्च हुआ और विधायकों के आवासों में कितना धन खर्च हुआ? (व्यवधान)

काजी निजामुद्दीन–

मान्यवर, दोनों का एच0आर0ए0 कितना है?

श्रीमती इन्दिरा ह्रदयेश–

मान्यवर, दोनों का एच0आर0ए0 रु0 7500 है। मान्यवर, जिस समय ये आवास बने, उस समय तत्कालीन सरकार के लिए यह निर्णय लेना आवश्यक था। हमारे पास आई0ए0एस0 नहीं हैं, पी0सी0एस0 नहीं हैं, इसके लिए व्यवस्था करना जरूरी था और तत्कालीन सरकार ने सही व्यवस्था की। (व्यवधान)

जल निगम तथा जल संस्थान के एकीकरण की योजना

*2–श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत–

क्या पेयजल मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि जल निगम तथा जल संस्थान के एकीकरण की योजना सरकार के विचाराधीन है?

यदि हां, तो कब तक एकीकरण हो जायेगा?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी–

जी हां।

इस सम्बन्ध में मा0 मंत्रि–परिषद् की समिति गठित की गयी है। मा0 समिति की संस्तुतियां प्राप्त होने पर तद्नुसार निर्णय लिया जायेगा।

उपरोक्तानुसार।

श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि नं0–1, मंत्रि–परिषद् की समिति का गठन कब किया गया? 2–क्या मंत्रि–परिषद् की समिति की कोई बैठक हुई? 3–क्या समिति की कुछ संस्तुतियां प्राप्त हुई हैं? 4–क्या इसके प्रारूप पर विचार किया गया है?

श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी–

मान्यवर, दिनांक 15 मार्च, 2002 को कैबिनेट की बैठक में निर्णय लिया गया कि उप समिति का गठन कर दिया जाये और इस उप समिति की पहली बैठक दिनांक 10–07–2002 को हुई, उप समिति की दूसरी बैठक दिनांक 23–07–2003 को हुई। मान्यवर, माननीय सदस्य ने जो संस्तुतियों के बारे में पूछा तो मान्यवर, इसकी कुछ संस्तुतियां प्राप्त हुई हैं और इसमें कुछ कार्यवाही भी हुई है और उनके सापेक्ष सब कमेटी द्वारा जो प्रस्ताव तैयार किये गये थे, उन बिन्दुओं पर भी चर्चा हुई और उन पर निर्णय लिये गये। गढ़वाल और कुमाऊं में जो अलग–अलग जल संस्थान हुआ करते थे, दोनों संस्थानों को एक करने का प्रयास किया गया और इन्हीं सब चीजों के लिए इस उप समिति का गठन करना था और गठन हुआ। हमारे पास काफी दिक्कतें थीं, पेयजल निगम और जल निगम जो उत्तर प्रदेश के अंग थे, उसको अंगीकृत करने की कार्यवाही

की गई और अंगीकृत किया और हरिद्वार में यह व्यवस्था नगरपालिका के अधीन थी, तो पूरे प्रदेश में एकरूपता लाने के लिए उसको भी जल संस्थान में सम्मिलित किया गया। जल मूल्य वसूली का कार्य शुरु किया गया, निर्माण होने के बाद जो हैंडओवर नहीं हुए थे और वसूली नहीं हो रही थी, उसके लिए एक प्रक्रिया शुरू की गई जिसको हमने पूरा कर लिया है।

(व्यवधान)

श्री नारायण सिंह जंतवाल–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जब से यह सरकार बनी है, बड़े जोर–शोर से माननीय मंत्री जी ने कहा कि जल निगम और जल संस्थानों का एकीकरण कर लिया जायेगा। लेकिन काफी समय बीत जाने के बाद भी मामला मात्र एक समिति के बनने तक ही पहुंचा है। तो मंत्री जी यह बताने का कष्ट करें कि क्या उन्होंने एकीकरण के लिए कोई समय सीमा निर्धारित की है?

श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी–

मान्यवर, हमारी स्वयं की भी इच्छा थी कि जल्दी से जल्दी इनका एकीकरण कर लिया जाय और जल परिषद् के माध्यम से पेयजल व्यवस्था को सुदृढ़ किया जाय। इसी के लिए इस समिति का गठन भी किया गया। मैंने पहले भी सदन को अवगत कराया था कि इसमें बहुत अंतर थे, बहुत अंतर्विरोध थे, जल निगम उत्तर प्रदेश का अंग था, उसे यहां लाना एक टेढ़ी खीर था, न तो हम उनके साथ आगे बढ़ सकते थे, न उनके साथ रह सकते थे, तो उत्तर प्रदेश जल निगम को हमने अपने अंग के रूप में स्वीकार किया, इसमें भी काफी टाइम लगा, गढ़वाल और कुमाऊं जल संस्थानों में अलग–अलग टेरिफ थे, बोर्ड थे, इनके एकीकरण करने में, एकरूपता लाने में भी समय लग गया, हरिद्वार में भी यही था, उसमें भी समय लगा, अभी भी कुछ काम और है और इस बारे में उप समिति में विचार किया जायेगा और मैं बताना चाहता हूं कि इन कार्यों को जल्दी ही निस्तारित कर लिया जायेगा और जल्दी ही जल परिषद् बन जायेगा।

श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत–

मान्यवर, माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं कि जल निगम और जल संस्थानों को एकीकृत करने के बाद जनता को लाभ मिलेगा? क्या सरकार इसके प्रति आश्वस्त है कि एकीकरण के बाद भी जनता को लाभ मिलेगा?

(व्यवधान)

श्री हरबंस कपूर–

मान्यवर, मेरा इसी से जुड़ा हुआ एक नीतिगत प्रश्न है। (व्यवधान) श्रीमन्, जल निगम और जल संस्थान को मिलाने के बाद जल परिषद् के निर्माण की बात हो रही है और दूसरी तरफ ऊर्जा के क्षेत्र में अलग–अलग विभाग बनाये जा रहे हैं, स्टैब्लिशमेन्ट का अलग होगा, वितरण का अलग होगा, आदि, तो यह विरोधाभास क्यों हो रहा है, उसका भी एकीकरण होना चाहिए?

श्री अध्यक्ष–

कपूर जी, आपका प्रश्न इससे संबंधित नहीं है।

(सदन में मोबाइल की ध्वनि सुनाई देने पर)

श्री अध्यक्ष–

कृपया मोबाइल बंद करें।

श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी–

मान्यवर, जैसा कि माननीय सदस्य ने इच्छा जाहिर की है कि एकीकरण उपयुक्त होगा या नहीं, इन्हीं बिन्दुओं के लिए उप समिति का गठन किया गया है।

मान्यवर, इसके अतिरिक्त हम हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, तमिलनाडु तथा अन्य प्रदेशों की जलनीति का भी अध्ययन कर रहे हैं। अभी हमारी एक टीम दिल्ली गयी थी, वहां पर जल बोर्ड बना है, उसमें कुछ खामियां आयी हैं, उसका हम अध्ययन कर रहे हैं। उप समिति के निष्कर्ष आने पर ही कार्य पूरा किया जाएगा। मान्यवर, हम सभी माननीय सदस्यों के पास एक पत्र भेज रहे हैं कि आपके पास इस सम्बन्ध में जो भी सुझाव हैं, उनसे हमें अवगत कराएं। पेयजल बहुत ही संवेदनशील और जरूरी विषय है, इसलिए इसमें कोई कमी नहीं रहने दी जाएगी। इन सभी बिन्दुओं पर विचार किया जा रहा है, इसलिए इस सम्बन्ध में जल्दबाजी नहीं की जा रही है। आपने कहा कि पावर में अलग–अलग डिवीजन हैं और यहां पर डिवीजन खत्म किए जा रहे हैं तो इस सम्बन्ध में कहना चाहता हूं कि अभी हम विचार कर रहे हैं। उप समिति का गठन इन्हीं सारी बातों के लिए किया गया है। उप समिति के जो निष्कर्ष आएंगे और आप लोगों के जो सुझाव होंगे, उनको ध्यान में रख कर ही निर्णय लिया जाएगा।

श्री मातबर सिंह कण्डारी–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जल निगम ने जिन योजनाओं का निर्माण किया, उनमें से अधिकांश न तो जल निगम के पास हैं और न ही जल संस्थान के पास। दोनों विभागों में विवाद होने के कारण जो योजनाएं अधर में लटकी हैं, क्या उनको जल संस्थान को सौंपने के लिए आप कोई कार्यवाही कर रहे हैं? या उन योजनाओं का रख–रखाव जल निगम द्वारा ही किया जाएगा?

श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी–

मान्यवर, माननीय कण्डारी जी संभवतः उन योजनाओं के सम्बन्ध में कह रहे हैं, जो आज से करीब दो–ढाई साल पहले एक शासनादेश के तहत जिस हालत में और जिस स्थिति में हैं, के तहत 1192 योजनाएं जल निगम द्वारा जल संस्थान को हस्तांतरित कर दी गयी थीं। यह निर्णय संभवतः जल्दी में लिया गया, इसके कारण बहुत सी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। इनमें से बहुत सारी योजनाएं अपूर्ण थीं, उनको पूरा करने के लिए एक वृहद आगणन जल संस्थान द्वारा किया गया, जो कि करोड़ों में था। यह दोनों विभागों का मसला था। इतना अधिक धन उपलब्ध न हो पाने के कारण अभी ये योजनाएं पूरी नहीं हो सकी हैं। शासनादेश के अनुसार ये सारी योजनाएं जल संस्थान के पास हैं। यह लगभग 3 साल पहले के निर्णय के तहत हुआ है। हम इनको शार्ट आउट करने का प्रयास कर रहे हैं ताकि जल्दी से जल्दी जरूरी योजनाओं को पूरा करके पेयजल उपलब्ध करा सकें।

श्री मातबर सिंह कण्डारी–

मान्यवर, उत्तर स्पष्ट नहीं है। उनका मालिक कौन है? जल निगम कहता है कि उसने सारी योजनाएं जल संस्थान को सौंप दी हैं और जल संस्थान कहता है कि ये योजनाएं हमारे पास नहीं हैं।

श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी–

मान्यवर, मैंने पहले ही स्पष्ट उत्तर दे दिया है। एक बार और स्पष्ट कर दूं कि ये सारी योजनाएं जल संस्थान की प्रॉपर्टी हैं। जिस हालत में और जिस स्थिति में हैं, के शासनादेश के तहत ये योजनाएं आधी रात में जल निगम द्वारा जल संस्थान को शिफ्ट कर दी गयी हैं। इन योजनाओं को पूरा करने के लिए अभी हमारे पास पर्याप्त धन नहीं है। जैसे ही धन उपलब्ध हो जाएगा, इनकी मरम्मत का कार्य प्रारम्भ कर दिया जाएगा। इसके लिए हम प्रयासरत हैं, जैसे ही धन उपलब्ध हो जाएगा, इन योजनाओं को पूरा कर लिया जाएगा।

मान्यवर, स्वामित्व की जहां तक बात है, यह योजना जल संस्थान की प्रॉपर्टी है। किन्तु उनका यह कहना है कि जब तक धन की व्यवस्था नहीं हो जाती, वे उन योजनाओं पर कैसे कार्य करें। इसके लिए हम शीघ्र ही धन की व्यवस्था करने जा रहे हैं।

श्री मातबर सिंह कण्डारी–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी से प्रश्न पूछने की मंशा मेरी यह थी कि जब तक आप दोनों विभागों का एकीकरण नहीं करेंगे यह विवाद बना रहेगा। मेरा निवेदन यह है कि यथाशीघ्र आप एकीकरण कर दें।

श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी–

मान्यवर, इस सम्बन्ध में एक उपसमिति का गठन किया गया है। अभी तक मैंने जो यह रामायण पढ़ी, यह इसी के सम्बन्ध में थी। (हंसी)

श्री मातबर सिंह कण्डारी–

यह काम जब तक आपकी सरकार है, तब तक हो जाना चाहिए, तब तो ठीक है। (हंसी)

श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी–

मान्यवर, यह काम सरकार द्वारा अपने कार्यकाल में पूरा कर लिया जाएगा। अगली सरकार भी हमारी ही बनेगी, तब हम बहुत तेजी से विकास करेंगे।

श्रीमती आशा देवी–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी से जानना चाहती हूं कि ऐसी कितनी योजनाएं हैं जिनको आप धन उपलब्ध कराने वाले हैं? जैसा कि माननीय मंत्री जी ने अपने जवाब में कहा कि लावारिस जितनी भी योजनाएं हैं, उनको पूरा कराने के लिए जल संस्थान या जल निगम को लगातार आवश्यक धन शासन द्वारा उपलब्ध कराया जा रहा है।

श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी–

मान्यवर, मुझे यह लग रहा था कि इस सेशन में कुछ वाणियां कम होंगी लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आपने एक बार फिर अपना प्रश्न किया, मुझे संतोष हुआ। मान्यवर, 1192 योजनाएं पेयजल निगम के पास थीं। उनका हस्तांतरण कर लिया गया है। इनमें से 500 योजनाएं ऐसी हैं जिन पर धन की आवश्यकता है। अगर आपके क्षेत्र की कोई योजना हों तो आप हमें बताइए?

नगरपालिका परिषद् तथा नगर पंचायतों के उपाध्यक्ष पदों के निर्वाचन हेतु शासनादेश

*3–श्री प्रकाश पन्त–

क्या नगर विकास मंत्री बतायेंगे कि नगरपालिका परिषद् तथा नगर पंचायतों के उपाध्यक्ष पदों के निर्वाचन हेतु शासन द्वारा 15 सितम्बर, 2003 के पत्र द्वारा आदेशित किया गया था?

यदि हां, तो क्या जिलाधिकारी, ऊधमसिंह नगर द्वारा नगरपालिका परिषद्, रुद्रपुर को अपने 29 सितम्बर, 2003 के पत्र के माध्यम से पूर्व निर्धारित कार्यक्रम 02 अक्टूबर, 2003 के स्थान पर 03 अक्टूबर, 2003 को निर्वाचन कराने हेतु निर्देशित किया गया था?

यदि हां, तो क्या सरकार जिलाधिकारी, ऊधमसिंह नगर के नियम विरुद्ध हस्तक्षेप पर कार्यवाही करेगी? यदि हां, तो कब तक?

यदि नहीं, तो क्यों?

वन मंत्री (श्री नव प्रभात)–

जी हां।

जिलाधिकारी, ऊधमसिंह नगर द्वारा पत्र दिनांक 29 सितम्बर, 2003 द्वारा नगर–पालिका परिषद्, रुद्रपुर में उपाध्यक्ष पद का निर्वाचन दिनांक 01 अक्टूबर, 2003 के स्थान पर दिनांक 03 अक्टूबर, 2003 को कराये जाने का अनुरोध किया गया था, निर्देश नहीं दिये गये थे।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री प्रकाश पंत–

माननीय अध्यक्ष जी, नगरपालिका अधिनियम की धारा 86 में प्राविधान है कि अध्यक्ष को उपाध्यक्ष के निर्वाचन को सम्पन्न कराने की जिम्मेदारी दी गई है। माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि 26 सितम्बर, 2003 को अध्यक्ष द्वारा जो विशेष बैठक की सूचना दी गई थी, वह दिनांक 01–10–2003 को प्रातः 11.00 बजे दी गई। इस पर जिलाधिकारी, ऊधमसिंह नगर द्वारा 29 सितम्बर को स्पष्ट रूप से लिखा गया कि कृपया, उपाध्यक्ष निर्वाचन हेतु दिनांक 03 अक्टूबर, 2003 की तिथि निर्धारित करने का कष्ट करें। मान्यवर, सीधे निर्देश अध्यक्ष को दिये गये कि 01 अक्टूबर के स्थान पर 03 अक्टूबर की तिथि निर्धारित करें। श्रीमन् यह पूरा–पूरा उल्लंघन है, नगरपालिका अधिनियम, 86 का।

मान्यवर, अधिनियम की धारा 86 का जिसमें निर्धारित किया था अध्यक्ष, उपाध्यक्ष का निर्वाचन करेगा और इसकी व्यवस्था को सम्पादित करेगा। मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार नगरपालिका अधिनियम का उल्लंघन करने वाले के खिलाफ कोई कार्यवाही कर रही है, या करेगी?

श्री नव प्रभात–

मान्यवर, प्रश्न उठता है, निर्देशित किया है। मान्यवर, एक सदस्य की सूचना अध्यक्ष महोदय को थी और उन्होंने लिखा है, दो अक्टूबर को वे उपलब्ध नहीं होंगे और कृपया इसकी तिथि तीन अक्टूबर को रखी जाय। यह उन्होंने अध्यक्ष महोदय को लिखा। मान्यवर, इस स्थिति में यह सिर्फ निर्देशों का संवहन है। इसलिए इसको निर्देश के रूप में न माना जाय।

श्री नारायण सिंह जंतवाल–

मान्यवर, जो प्रश्न माननीय प्रकाश पन्त जी ने उठाया, उसका जवाब माननीय मंत्री जी ने तकनीकी रूप से सही जवाब दिया। मान्यवर, लेकिन क्या लोकतांत्रिक व्यवस्था के रूप में जो भाषा इसमें लिखी गयी है क्या यह भाषा किसी जनप्रतिनिधि की गरिमा के अनुकूल है? मान्यवर, इसकी भाषा को पढ़ने से स्पष्ट होता है, जिलाधिकारी महोदय ने अप्रत्यक्ष रूप से निर्देशित करने की कोशिश की है। मान्यवर, यह एक लोकतांत्रिक व्यवस्था का लक्षण नहीं है। मान्यवर, सरकार जनतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए क्या कार्यवाही करने जा रही है? यह मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं?

श्री नव प्रभात–

मान्यवर, नगरपालिका अधिनियम की धारा 54 में उपाध्यक्ष के निर्वाचन की व्यवस्था है। इसके प्रथम खण्ड में प्रत्येक नगरपालिका विशेष संकल्प द्वारा अपने सदस्यों में से एक उपाध्यक्ष या यथास्थिति एक ज्येष्ठ और कनिष्ठ उपाध्यक्ष निर्वाचित करेगी। मान्यवर, धारा 34 में स्पष्ट है राज्य सरकार या विहित प्राधिकारी या जिला मजिस्ट्रेट को नगरपालिका के संकल्प या आदेश के निष्पादन या अग्रेतर निष्पादन को प्रतिबन्ध करने की शक्ति है। मान्यवर, जनता को या विधिपूर्वक नियोजित व्यक्तियों के किसी वर्ग या निकाय को कोई बाधा, क्षोभ या क्षति पहुंचे या पहुंचने की सम्भावना है और किसी व्यक्ति के द्वारा ऐसे संकल्प या आदेश के अनुसरण में या उसके अधीन किसी कार्य के किये जाने या उसका किया जाना जारी रखने का प्रतिषेध कर सकता है, यह अधिकार जिलाधिकारी को प्राप्त है। मान्यवर, वर्तमान में जिलाधिकारी महोदय ने दी थी, न कि निर्देशित किया, उन्होंने सिर्फ सदस्य के बिहाफ पर कार्यवाही की।

श्री प्रकाश पंत–

मान्यवर, आज सरकार पूरी तरह से ब्यूरोक्रेसी के शिकंजे में है। इस पर भी यह सरकार ब्यूरोक्रेसी को बचा रही है।

श्री मातबर सिंह कण्डारी–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि सरकार, मंत्री चलाते हैं या अधिकारी चलाते हैं। आप निर्णय दे रहे हैं, जिलाधिकारी रख रहा है।

श्री नव प्रभात–

मान्यवर, अगर कोई सदन का सदस्य जिलाधिकारी से कहता है कि कमिन्युशन कर दें तो कर देते हैं।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्नकाल समाप्त हुआ।

*4–श्रीमती विजय बड़थ्वाल–

विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त।

अतारांकित प्रश्न

उत्तरांचल की नगरपालिकाओं एवं नगर पंचायतों को शासन द्वारा आवंटित धनराशि का मानक

1–श्री महेन्द्र भट्ट–

क्या नगर विकास मंत्री बतलाने का कष्ट करेंगे कि उत्तरांचल की नगर–पालिकाओं एवं नगर पंचायतों को शासन द्वारा किन–किन मदों में कुल कितनी राशि वर्तमान वित्तीय वर्ष में निर्गत की गयी है तथा इसका मानक क्या रखा गया है?

सरकार द्वारा किस–किस नगरपालिका एवं नगर पंचायत को कितनी–कितनी धनराशि दी गयी?

श्री नव प्रभात–

वित्तीय वर्ष 2003–2004 में नगरपालिकाओं एवं नगर पंचायतों को राज्य वित्त आयोग के माध्यम से रु0 64.35 करोड़ तथा 11वें वित्त आयोग के माध्यम से रु0 4.75 लाख अर्थात कुल रु0 69.10 लाख की धनराशि निर्गत की गयी है। प्रत्येक निकाय के लिए रेलवे हैड से दूरी 0 कि0मी0 से 49 कि0मी0 तक रु0 250/– प्रति व्यक्ति तथा 50 कि0मी0 से आगे रु0 300 प्रति व्यक्ति का मानक राज्य वित्त आयोग द्वारा रखा गया है।

सूची संलग्न है।

(देखिए नत्थी 'क')

नोट :–तारांकित प्रश्न संख्या (3) के उपरान्त प्रश्नों का समय समाप्त हुआ।

वन विभाग में कार्यरत मानचित्रकारों की पदोन्नति समयमान वेतनमान

2–श्री काशी सिंह ऐरी–

क्या वन मंत्री को ज्ञात है कि वन विभाग में कार्यरत मानचित्रकार को पूरे सेवा में न तो कोई पदोन्नति दी जाती है और न ही अन्य विभागों के मानचित्रकारों की भांति समयमान वेतनमान ही दिया जाता है?

यदि हां, तो यह विसंगति कब तक दूर कर दी जायेगी?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री नव प्रभात–

वन विभाग में मानचित्रकारों के लिये पदोन्नति का कोई पद उपलब्ध नहीं है किन्तु उनकी प्रथम नियुक्ति (वेतनमान रु0 4000–100–6000) के पश्चात् विभिन्न अवधियों में निम्नवत् वेतनमान/प्रोन्नति वेतनमान दिये जाने की व्यवस्था है:–

(1)	07 वर्ष की सन्तोषजनक सेवा पर–	रु0 4500–125–7000
(2)	14 वर्ष की सन्तोषजनक सेवा पर–	रु0 5000–150–8000
(3)	24 वर्ष की सन्तोषजनक सेवा पर–	रु0 5500–175–9000

उपरोक्त में से प्रथम दो वेतनमानों में अन्य विभागों में दिये जाने वाले वेतनमानों के सापेक्ष विषमता नहीं है, किन्तु 24 वर्ष की सन्तोषजनक सेवा पर दिया जाने वाला वेतनमान लोक निर्माण विभाग एवं सिंचाई विभाग में देय वेतनमान से कम है।

प्रस्ताव विचाराधीन है।

प्रश्न नहीं उठता है।

देहरादून, हरिद्वार, ऊधमसिंह नगर में झुग्गी–झोपड़ी में रहने वालों के लिए आवास नीति

3–श्री मातबर सिंह कण्डारी–

क्या नगर विकास मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि देहरादून, हरिद्वार, ऊधमसिंह नगर में झुग्गी–झोपड़ी में रहने वाले गरीब मजदूरों को आवासीय सुविधा देने पर क्या सरकार कोई नीति बनाने जा रही है?

श्री नव प्रभात–

बाल्मीकि अम्बेडकर आवास योजना अन्तर्गत गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को आवास उपलब्ध कराने की नीति है।

नियम 301 के अन्तर्गत सूचनायें

श्री प्रकाश पंत–

मान्यवर, एक विनिश्चय है कि नियम 301 की जितनी सूचना ले रहे हैं, सभी को स्वीकार कर लें।

श्री अध्यक्ष–

कुछ सूचनाओं की पुनरावृत्ति हुई है, इसलिए सभी नहीं ले रहे हैं।

आज नियम 301 के अन्तर्गत कुल 10 सूचनायें प्राप्त हुई हैं जिनमें से मैं कुल 6 सूचनाओं, श्री नारायण सिंह जंतवाल, श्री अजय भट्ट, श्रीमती विजय बड़थ्वाल, श्री महेन्द्र भट्ट, श्री प्रकाश पंत, श्री प्रीतम सिंह पंवार, को स्वीकार कर रहा हूं।

कालाढूँगी, जनपद नैनीताल में महाविद्यालय की स्थापना के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री नारायण सिंह जंतवाल–

मान्यवर, मैं आपके संज्ञान में अविलम्बनीय लोक महत्व का प्रश्न लाना चाहता हूं। मान्यवर, कालाढूँगी में उच्च शिक्षा का कोई संस्थान न होने के कारण उस क्षेत्र में अधिकांश छात्र–छात्राएं उच्च शिक्षा प्राप्त करने से वंचित रह जाते हैं। कालाढूंगी में रामनगर, हल्द्वानी व नैनीताल काफी दूरी में पड़ते हैं। कालाढूंगी से इन क्षेत्रों में प्रतिदिन पढ़ने हेतु जाना अत्यन्त दुरुह है।

कालाढूंगी के पास कोटाबाग केलपड़ाव सहित बहुत बड़ा क्षेत्र है जहां महाविद्यालय स्तर की शिक्षा की तीव्र आवश्यकता है।

अतः मैं शासन से मांग करता हूं कि कालाढूंगी, जनपद नैनीताल में उच्च शिक्षा के प्रसार हेतु शीघ्र एक महाविद्यालय की स्थापना की जाए।

अल्मोड़ा जिले के रानीखेत विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत रानीखेत को जिला बनाये जाने की मांग को नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, अल्मोड़ा जिले के रानीखेत विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत रानीखेत को जिला बनाने के लिए क्षेत्र के लोग आन्दोलित हैं, पूरे क्षेत्र में धरने एवं प्रदर्शन चल रहे हैं, रानीखेत को जिला बनाने की मांग लम्बे समय से चली आ रही है। उत्तर प्रदेश में भी रानीखेत को पृथक जिला बनाने की मांग उठायी जाती रही है, हर दृष्टि से रानीखेत को जिला बनाया जाना अति आवश्यक है, एक जिले के लिए जो भी मूल–भूत सुविधाएं, जैसे जिलाधिकारी आवास, पुलिस अधीक्षक आवास, जिला जज, जिला जेल समेत अन्य जिला स्तरीय अधिकारियों के कार्यालय इत्यादि सभी रानीखेत में पूर्व से ही बने हैं। रानीखेत जिले की मांग आवश्यक एवं महत्वपूर्ण है, मैं कई बार जिले की मांग को सरकार के संज्ञान में लाया हूं परन्तु आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है, वर्तमान में पूरे क्षेत्र में सरकार के प्रति भयंकर जनाक्रोश है, रानीखेत के चारों ओर आन्दोलन चल रहे हैं।

अतः मेरा आपसे अनुरोध है कि इस तात्कालिक अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर सरकार को रानीखेत को जिला बनाने के निर्देश देने का कष्ट करें।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जनपद पौड़ी गढ़वाल की नगरपालिका परिषद्, दुगड्डा के कर्मचारियों को वेतन, सेवानिवृत्त, पेंशन एवं अल्प वेतनभोगियों को भविष्य में नियमित वेतन भुगतान हेतु नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्रीमती विजय बड़थ्वाल–

मान्यवर, जनपद पौड़ी गढ़वाल की ऐतिहासिक नगरपालिका परिषद्, दुगड्डा के कर्मचारियों को विगत सात माहों से वेतन न मिलने से उनके एवं उनके परिवारों के समक्ष भुखमरी की स्थिति उत्पन्न हो गयी है, दुगड्डा निकाय की आर्थिक स्थिति केवल शासन की दया पर निर्भर है, क्योंकि निकाय की आय का एकमात्र साधन प्रवेश कर शासन द्वारा बढ़कर देने के पश्चात् उक्त निकाय की आज भी पर्वतीय परिस्थितियों के मानक अनुसार शासन द्वारा अनुदान नहीं दिया जा रहा है। इस सम्बन्ध में जन प्रतिनिधियों से सम्बन्धित निर्वाचित बोर्ड, समाचार पत्रों के द्वारा एवं कर्मचारियों ने हड़ताल के माध्यम से शासन को सारी स्थिति से अवगत करा दिया है। उत्तरांचल बनने के पश्चात् भी पर्वतीय मानकों को नजरअन्दाज किया जा रहा है, उक्त निकाय पर 17 लाख रुपया कर्मचारियों व पेंशनधारियों का बकाया है, जो कि शासन के विशेष अनुदान पर ही निर्भर है। क्या सरकार निकाय के अल्प वेतनभोगी कर्मचारियों को भविष्य में नियमित वेतन भुगतान एवं पूर्व के अवशेष भुगतान हेतु कोई कदम उठा रही है? उत्तरांचल में निकायों के सेवानिवृत्त कर्मचारियों के नियमित पेंशन भुगतान हेतु शासन द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं? और कितनी निकायें ऐसी हैं जिनके सेवानिवृत्त कर्मचारियों को विगत कई माह से पेंशन का भुगतान नहीं हुआ है?

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर ध्यान आकर्षित करते हुए कार्यवाही की मांग करती हूं।

पंचायतों में रिक्त पड़े ग्राम पंचायत विकास अधिकारियों की संविदा पर नियुक्ति एवं स्नातकोत्तर डिप्लोमा प्राप्त प्रशिक्षितों को नियुक्त किये जाने हेतु नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री प्रीतम सिंह पंवार–

मान्यवर, पंचायतराज विभाग उत्तरांचल द्वारा पंचायतों में रिक्त पड़े ग्राम पंचायत विकास अधिकारियों की संविदा पर नियुक्ति का निर्णय लिया गया है। उत्तरांचल के सैकड़ों शिक्षित बेरोजगारों ने इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय से ग्रामीण विकास में स्नातकोत्तर डिप्लोमा प्राप्त किया है। उपरोक्त नियुक्ति के सम्बन्ध में प्रशिक्षित बेरोजगार विगत दो माह से ग्राम पंचायत विकास अधिकारियों के पदों में वरीयता दिलाने की मांग को लेकर शासन से अनुरोध कर रहे हैं। किन्तु शासन द्वारा प्रशिक्षित बेरोजगारों के पक्ष में कोई भी आश्वासन नहीं दिया गया। जिससे डिप्लोमाधारी भविष्य के प्रति आशंकित हैं।

उपरोक्त प्रशिक्षितों की नियुक्ति से शासन को अनुभवी व योग्य कर्मचारी प्राप्त होंगे जिससे पंचायतों के कार्यों की गुणवत्ता बढ़ेगी।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

उपरोक्त संदर्भ में ग्रामीण विकास में स्नातकोत्तर डिप्लोमा प्राप्त प्रशिक्षितों की जनपदवार सूची तैयार कर पंचायतों में नियुक्त किए जाने वाले ग्राम पंचायत विकास अधिकारियों के पदों पर संविदा पर रखे जायें।

अतः अविलम्बनीय लोक महत्व के इस विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए सरकार से प्रभावी कार्यवाही की मांग करता हूं।

जनपद पिथौरागढ़ में स्थित चण्डाक मैग्नासाइट फैक्ट्री को पुनः संचालित किये जाने विषयक नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री प्रकाश पंत–

मान्यवर, जनपद पिथौरागढ़ में स्थित चण्डाक मैग्नासाइट फैक्ट्री से प्रभावित लगभग 20 ग्राम पंचायतों के नागरिक फैक्ट्री को पुनः संचालित किये जाने की मांग करते आ रहे हैं। सरकार द्वारा औद्योगिक नीति घोषित हो जाने के पश्चात् भी विगत लगभग 8 वर्षों से बन्द पड़ी मैग्नासाइट फैक्ट्री के संचालित करने का सरकार द्वारा कोई भी प्रयास न किये जाने से क्षेत्रीय जनता अत्यन्त आक्रोशित तथा आन्दोलित है।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर सदन का ध्यान आकर्षित करते हुए अविलम्ब कार्यवाही करने की मांग करता हूं।

(उक्त सूचना को पढ़ा हुआ माना गया)

जनपद चमोली में पोखरी के दूरस्थ गांव क्वीठी तथा आस–पास के गांवों में पेयजल समस्या के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री महेन्द्र भट्ट–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान जनपद चमोली के विकास खण्ड पोखरी के दूरस्थ गांव क्वीठी तथा इसके आस–पास के लगभग सात गांवों में व्याप्त पेयजल संकट की ओर दिलाना चाहता हूं।

महोदय, उक्त ग्राम सभा क्वीठी में पेयजल स्रोत पूरी तरह सूख गये हैं तथा नई व्यवस्था के अन्तर्गत पोखरी पुनर्गठन के नाम से योजना शासन के विचाराधीन है जिसके द्वारा इन गांवों को पेयजल से जोड़ना है। परन्तु इस योजना के लिए अभी तक भी वित्तीय स्वीकृति न मिलने के कारण यहां जनता में रोष व्याप्त है।

महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान आकृष्ट करते हुए पोखरी पुनर्गठन हेतु वित्तीय स्वीकृति यथाशीघ्र दिलाने की मांग सरकार से करता हूं।

जनपद रुद्रप्रयाग के विकास खण्ड ऊखीमठ के अन्तर्गत जूनियर हाई स्कूल, त्रियुगी नारायण के उच्चीकरण के सम्बन्ध में याचिका

श्रीमती आशा देवी–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से "जनपद रुद्रप्रयाग के विकास खण्ड ऊखीमठ के अन्तर्गत जूनियर हाई स्कूल, त्रियुगी नारायण का हाई स्कूल स्तर पर उच्चीकरण करने के

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

के सम्बन्ध में" श्री दीनमणी गैरोला एवं अन्य निवासीगण, जनपद रुद्रप्रयाग द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करती हूं।

जनपद रुद्रप्रयाग के अगस्त्यमुनि के अन्तर्गत ग्राम फलई का नाम राजस्व नोटिफिकेशन गजट में रखकर तड़ियाल गांव को निरस्त करने के सम्बन्ध में याचिका

श्रीमती आशा देवी–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से "जनपद रुद्रप्रयाग के विकास खण्ड अगस्त्यमुनि के अन्तर्गत ग्राम फलई का नाम राजस्व नोटिफिकेशन गजट में यथावत् रखकर तड़ियाल गांव को निरस्त करने के सम्बन्ध में" श्री अमर सिंह रावत एवं अन्य निवासीगण, जनपद रुद्रप्रयाग द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करती हूं।

जनपद रुद्रप्रयाग के अन्तर्गत ग्राम गड़गू ऊखीमठ में प्रधानमंत्री सड़क निर्माण कार्य का शेष कार्य पूरा कराने विषयक याचिका

श्रीमती आशा देवी–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से "जनपद रुद्रप्रयाग के अन्तर्गत ग्राम गड़गू ऊखीमठ में प्रधानमंत्री सड़क निर्माण कार्य का शेष कार्य पूरा कराने के सम्बन्ध में" श्रीमती बसन्ती देवी एवं अन्य निवासीगण, जनपद रुद्रप्रयाग द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करती हूं।

जनपद टिहरी गढ़वाल में थत्यूड़, जौनपुर के नैनबाग–मसूरी मार्ग पर हुई दुर्घटना में मृतक व घायलों को आर्थिक सहायता दिये जाने हेतु याचिका

श्री प्रीतम सिंह पंवार–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से "जनपद टिहरी गढ़वाल के विकास खण्ड थत्यूड़, जौनपुर के नैनबाग–मसूरी मार्ग पर दिनांक 24 अक्टूबर, 2003 को हुई दुर्घटना में मृतक व घायलों को आर्थिक सहायता दिये जाने के सम्बन्ध में" श्री महावीर सिंह एवं अन्य निवासीगण, जनपद टिहरी गढ़वाल द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

जनपद उत्तरकाशी के चिन्यालीसौड़ मुख्यालय में बालिका इण्टर कॉलेज खोले जाने के सम्बन्ध में याचिका

श्री प्रीतम सिंह पंवार–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से "जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड चिन्यालीसौड़ मुख्यालय में बालिका इण्टर कॉलेज खोले जाने के सम्बन्ध में" श्री धर्मवीर सिंह बिष्ट एवं अन्य निवासीगण, जनपद उत्तरकाशी द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

जनपद उत्तरकाशी में भटवाड़ी के ग्राम अठाली में पौंरा सेरा आदि तोकों में सिंचाई सुविधा सुलभ कराने हेतु लिफ्ट सिंचाई योजना स्वीकृत करने सम्बन्धी याचिका

श्री प्रीतम सिंह पंवार–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से "जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड भटवाड़ी के ग्राम अठाली में पौंरा सेरा आदि तोकों में सिंचाई सुविधा सुलभ कराने हेतु लिफ्ट सिंचाई योजना स्वीकृत करने के सम्बन्ध में" श्री जयेन्द्र सिंह पंवार एवं अन्य निवासीगण, जनपद उत्तरकाशी द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

जनपद चमोली के विकास खण्ड घाट में तहसील निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में याचिका

श्री महेन्द्र भट्ट–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से "जनपद चमोली के विकास खण्ड घाट में तहसील निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में" श्री दिलवर सिंह राणा एवं अन्य निवासीगण, जनपद चमोली द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

जनपद टिहरी गढ़वाल के भवान जौनपुर (थत्यूड़) में एलोपैथिक चिकित्सालय की स्थापना किये जाने विषयक याचिका

श्री प्रीतम सिंह पंवार–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से "जनपद टिहरी गढ़वाल के भवान जौनपुर (थत्यूड़) में एलोपैथिक चिकित्सालय की स्थापना किये जाने के संबंध में" श्री अनिल पंवार एवं अन्य निवासीगण, जनपद टिहरी गढ़वाल द्वारा हस्ताक्षरित याचिका प्रस्तुत करता हूं।

जनपद उत्तरकाशी के चिन्यालीसौड़ की पट्टी गमटी के केन्द्रीय स्थल चमियारी (गमटी) में हाई स्कूल खुलवाये जाने के सम्बन्ध में याचिका

श्री प्रीतम सिंह पंवार–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से "जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड चिन्यालीसौड़ की पट्टी गमटी के केन्द्रीय स्थल चमियारी (गमटी) में हाई स्कूल खुलवाये जाने के संबंध में" श्री सुन्दर लाल नौटियाल एवं अन्य निवासीगण, जनपद उत्तरकाशी द्वारा हस्ताक्षरित याचिका प्रस्तुत करता हूं।

जनपद चमोली में चांदीपुर गढ़ी को विकास खण्ड बनाने हेतु याचिका

श्री अनिल नौटियाल–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से "जनपद चमोली में चांदीपुर गढ़ी को विकास खण्ड बनाने के संबंध में" श्री वीरेन्द्र सिंह नेगी एवं अन्य निवासीगण, जनपद चमोली द्वारा हस्ताक्षरित याचिका प्रस्तुत करता हूं।

(मद संख्या–15, 16, 17 में माननीय सदस्यों का नाम पुकारे जाने पर वे सदन में अनुपस्थित थे।)

श्री विपिन चन्द्र त्रिपाठी–

मान्यवर, मैंने एक अवमानना की नोटिस दी थी, मैं जानना चाहता हूं कि उसमें क्या हुआ?

श्री अध्यक्ष–

उस पर परीक्षण करा देंगे।

श्री विपिन चन्द्र त्रिपाठी–

मान्यवर, मैंने 17–12–2003 को दी थी, उस पर परीक्षण करा रहे हैं?

श्री अध्यक्ष–

मैं इसको देख लूंगा और परीक्षण करा लेंगे।

राज्य मंत्री (श्री किशोर उपाध्याय)–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से सूचना देना चाहता हूं कि जो गम्भीर सिंह कठैत आग लगने से घायल हो गये थे। मान्यवर, मैं कल रात सो नहीं पाया, रात भर फोन आते रहे, सदन में इस संबंध में कल चिन्ता जाहिर की गई, मैं सदन को इस चिन्ता से मुक्त करना चाहता हूं कि अब गम्भीर सिंह कठैत की स्थिति स्थिर है, उनकी ड्रिप भी हटा ली गई है, उनकी स्थिति में अब सुधार आ रहा है, यह पूरे प्रदेश की चिन्ता थी। मुख्यमंत्री जी ने और माननीय घस्माना जी ने मदद की। हमारे जो एम्बुलेन्स में डाक्टर थे, उन्होंने काफी मेहनत की। अब उनकी स्थिति में सुधार है। मैं कहना चाहता हूं कि कुछ अराजक तत्व तरह–तरह की अफवाहें फैलाकर माहौल को खराब करना चाहते हैं, इसलिए मैं आपके माध्यम से सदन को अवगत करा रहा हूं।

कार्य स्थगन प्रस्ताव की सूचनायें

श्री अध्यक्ष–

आज नियम 56 में 12 सूचनायें प्राप्त हुई हैं जिनमें से 5 सूचनाओं को मैं स्वीकार कर रहा हूं।

श्री विपिन चन्द्र त्रिपाठी–

माननीय अध्यक्ष जी, 9 फरवरी, 2004 को सांय लगभग 3.00 बजे सड़क परिवहन निगम की बरेली–गैरसैंण बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई। यह दुर्घटना द्वाराहाट विकास खण्ड के मटेला नामक स्थान पर हुई। बस के 25 से 30 मीटर से अधिक गहरी खाई में गिरने से तीन यात्रियों की मृत्यु हो गई और कई गम्भीर रूप से घायल हो गये जिनमें श्री मोहन चन्द्र जोशी पुत्र श्री भोला दत्त जोशी सत्ती नौ गांव को दिल्ली एम्स के लिए भेजा गया, दूसरा श्रीमती कमला पत्नी श्री हरीश चन्द्र, ग्राम बाड़ी, पो0 बोगवाली पौखर को हल्द्वानी के लिए रैफर किया गया है। उनमें से काफी लोग ऐसे हैं जो अभी भी बुरे हाल में है। इसका मुख्य कारण है, उत्तरांचल सड़क परिवहन निगम की खस्ताहाल बसों का होना, इसके कारण यह दुर्घटना आये दिन हो रही हैं। जिससे उस क्षेत्र की जनता में आक्रोश

व्याप्त है। इस संबंध में मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को फोन पर अवगत कराया और फैक्स भी भेजे और अनुरोध किया कि प्रत्येक घायल को पचास–पचास हजार रुपया और मृतकों को तीन लाख रुपया दिया जाए और दूसरा उत्तरांचल परिवहन निगम अपनी बसों में सुधार करे तथा अधिकांश दुर्घटना का कारण नशे में चालकों के रहने से होती है जिससे बेकसूर लोगों की जानें जाती हैं तो इसमें निश्चित रूप से कार्यवाही हो जिससे कि बेकसूर लोगों की जानें न जाएं।

परिवहन मंत्री (श्री हीरा सिंह बिष्ट)–

मान्यवर, दिनांक 9 फरवरी, 2004 को रानीखेत से लगभग 20 कि0मी0 दूर काफड़ा नामक स्थान पर सांय 4 बजे रानीखेत डिपो की बस सं0–यू0पी0–02–सी–7055 दुर्घटनाग्रस्त हो गयी थी। दुर्घटना स्थल का निरीक्षण स्वयं प्रबंध निदेशक, उत्तरांचल परिवहन निगम द्वारा दुर्घटना की सूचना प्राप्त होते ही तत्काल किया गया और प्रथम दृष्टया यह पाया गया कि दुर्घटना का कारण बस की खराबी होना नहीं था बल्कि दुर्घटना चालक की गलती के कारण घटित हुई थी। दुर्घटना की जांच हेतु परिवहन निगम के अधिकारियों को आदेश दे दिये गये। बस में दुर्घटना के समय कुल 17 सवारियां थी। दुर्घटना में 01 महिला, 01 पुरुष तथा 01 बच्चे की तत्काल मृत्यु हो गयी थी और 14 व्यक्ति घायल हुये। परिवहन निगम के अधिकारियों द्वारा मृतक के परिवारजनों को तात्कालिक सहायता के रूप में 2000 रु0 प्रति परिवार तथा 14 घायल व्यक्तियों में से 13 घायल व्यक्तियों को रु0 500 प्रति घायल व्यक्ति को दे दिये गये हैं। एक घायल व्यक्ति से सम्पर्क नहीं होने के कारण धनराशि नहीं दी जा सकी है। उपरोक्त के अतिरिक्त परिवहन विभाग द्वारा ऐसी दुर्घटनाओं में मृतक यात्री के आश्रितों को रु0 बीस हजार तथा घायल यात्रियों को उनकी अपंगता के अनुसार सहायता मैजिस्ट्रियल जांचोपरान्त जिलाधिकारी की संस्तुति के अनुसार दिये जाने का प्राविधान है। प्रबंध निदेशक द्वारा इस प्रकार की दुर्घटनाओं को रोकने हेतु अपने परिपत्र सं0–124/प्रा0नि0 परिवहन/कैम्प/2004, दिनांक 12 फरवरी, 2004 द्वारा विस्तृत दिशा निर्देश समस्त क्षेत्रीय प्रबंधकों को भी निर्गत किये हैं जिसमें निगम के प्रवर्तन दलों द्वारा मार्ग पर चल रही निगम की बसों के निरीक्षण के दौरान चालकों पर नजर रखने, समय–समय पर चालकों की काउंसिलिंग कराने तथा संविदा चालकों के लाइसेन्सों की जांच परिवहन विभाग के अधिकारियों से कराने के निर्देश निर्गत किये गये हैं। मान्यवर, दिनांक 31 अक्टूबर को उत्तरांचल परिवहन निगम का गठन अभी किया गया है, अब नयी बसों की व्यवस्था होगी।

श्री विपिन चन्द्र त्रिपाठी–

मान्यवर, जो एम्स में भर्ती है और दूसरा डॉ0 सुशीला तिवारी चिकित्सालय, हल्द्वानी में है, क्या उसके इलाज के खर्चे का व्यय भार सरकार वहन करेगी? जो 20,000 रु0 दिये गये हैं, वह इनके लिए आज की स्थिति में नाकाफी हैं? क्या इनको दो–दो लाख रु0 देने पर सरकार विचार करेगी?

श्री हीरा सिंह बिष्ट–

मान्यवर, यह विभागीय व्यवस्था है, जो हमारी बसें चलती हैं, उनसे जो टैक्स मिलता है, उनसे यह व्यवस्था की जाती है। इसके लिए ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है।

श्री विपिन चन्द्र त्रिपाठी–

मान्यवर, जो चिकित्सा की बात मैंने कही है कि क्या सरकार उसके इलाज पर हो रहे खर्चे का वहन करेगी?

श्री हीरा सिंह बिष्ट–

मान्यवर, ऐसी कोई व्यवस्था उत्तरांचल परिवहन निगम के पास नहीं है। ऐसी कोई व्यवस्था अभी तक नहीं है। दुर्घटनाग्रस्त बस वर्ष 1998 की है, उसकी अवस्था ठीक थी। दुर्घटनाग्रस्त बस चालक यद्यपि दुर्घटना के समय फरार हो गया था किन्तु बाद में उसके द्वारा पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण करने की सूचना प्राप्त हुई है। बस चालक संविदा पर नियुक्त था और उसकी संविदा अवधि समाप्त करते हुए उसे कार्य से हटाने के निर्देश पारित किये जा चुके हैं।

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्य श्री विपिन चन्द्र त्रिपाठी और माननीय मंत्री जी को सुनने के पश्चात् मैं इस सूचना को अग्राह्य कर रहा हूं।

*श्री हरबंस कपूर–

मान्यवर, दिनांक 15–02–2004 को देहरादून के मातावाला बाग क्षेत्र में उत्तरांचल जल संस्थान के ओवर हैड टैंक में एक महिला की सड़ी–गली लाश मिलने से पूरे क्षेत्र में सनसनी व्याप्त है तथा क्षेत्रवासियों को कई दिनों तक सड़े शव से संक्रमित होना पड़ा। पानी विभाग द्वारा आपूर्ति किये जाना विभागीय अधिकारियों एवं कर्मचारियों की घोर लापरवाही का द्योतक है। मान्यवर, यह अविलम्बनीय लोक महत्व का प्रश्न है।

मान्यवर, यह वास्तव में बहुत ही गम्भीर मामला है और यह मात्र मातावाला बाग तक सीमित नहीं है। निश्चित रूप से यह दुर्घटना वहां हुई है। मान्यवर, पेयजल सबसे महत्वपूर्ण विषय है और जिस प्रकार से सरकार द्वारा पेयजल के वितरण की जो व्यवस्था है, उसके भण्डारण की जो व्यवस्था है, वह बहुत ही गैर जिम्मेदाराना है और विभाग द्वारा जो व्यवस्था बनाई गई है, वह इस दुर्घटना की प्रतीक है। आज कोई भी जलाशय सुरक्षित नहीं है, किसी भी जलाशय पर कोई चौकीदार नहीं है, कोई कर्मचारी नहीं है जो इस बात को सुनिश्चित कर सके कि पेयजल को प्रदूषित करने के प्रयास को रोका जा सके या किसी भी तरह की ऐसी दुर्घटना न हो सके। पेयजल विभाग द्वारा ऐसी कोई व्यवस्था नहीं की गई है। जिस प्रकार से यह घटना घटित हुई, जो लाश वहां मिली, बताया गया

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

कि वह 10–15 दिन पुरानी लाश थी और 10–15 दिन तक शहर की लगभग 1 लाख जनसंख्या को वही पानी वितरित किया गया। इससे स्पष्ट है कि विभाग द्वारा भण्डारण की निगरानी करने, उसकी चेकिंग करने या ऐसी दुर्घटना को बचाने की कोई व्यवस्था नहीं की गई है।

मान्यवर, आज अखबार में भी पढ़ने को मिला कि माननीय मंत्री जी ने कुछ अधिकारियों और कर्मचारियों को बलि का बकरा बना दिया। वास्तव में ऐसी स्थिति में उचित यही होता कि सरकार इसकी जिम्मेदारी अपने ऊपर लेती और पूरे जितने जलाशय हैं, उनकी निगरानी की जिम्मेदारी की व्यवस्था अपने ऊपर लेती और इसका कोई आश्वासन देती। यह अविलम्बनीय लोक महत्व का विषय है और मैं यह मांग करता हूं कि इस गैर जिम्मेदाराना व्यवस्था के जिम्मेदार मात्र कुछ अधिकारी और कर्मचारी ही नहीं हैं। इस व्यवस्था में सुधार आना चाहिए। सरकार के लिए यह उचित होगा कि माननीय मंत्री जी इसकी जिम्मेदारी अपने ऊपर लेते हुए अपने बारे में कुछ विचार कर लें। (व्यवधान) सरकार विचार कर ले कि भविष्य में ऐसी कोई घटना न हो। एक बात और है मान्यवर, जहां पर यह दुर्घटना घटित हुई है, उसके निकट एक कूड़े का भण्डारण स्थापित किया गया है, वहां पर सारे उत्तरांचल की पॉलीथीन एकत्र कर लायी जा रही है, पहले था कि यहां पर रिसाइक्लिंग प्लांट लगायेंगे। कूड़े के ढ़ेर के कारण वहां पर भारी संख्या में ऐसे लोग आते हैं जो वहां पर कूड़ा लाते हैं और उसे अलग भी किया जाता है, तो निश्चित रूप से अब वह क्षेत्र भी सुरक्षित नहीं है, उस कूड़े के कारण वहां पर प्रदूषण की समस्या भी आ रही है। मान्यवर, जहां से भी पेयजल की आपूर्ति होती है, जलाशय बने हैं, ऐसे स्थानों की सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करनी चाहिए।

*पेयजल मंत्री (श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी)–

मान्यवर, निश्चित रूप से यह बड़ी ही गंभीर और दुःखद घटना है, इस घटना से हम भी बहुत चिन्तित हैं, श्रीमन्, दिनांक 15–2–2004 को मातावाला के जलाशय में हमारे एक सहायक द्वारा इस बॉडी को देखा गया था और इसकी प्राथमिकी पटेलनगर थाने में दर्ज करा दी गई, जी0डी0 संख्या–20 में। यह वास्तव में बहुत संवेदनशील स्थिति है, जो चिन्ता माननीय सदस्य ने जाहिर की है, मैं उससे अपने आप को संबंद्ध करता हूं। इस बारे में बात आई कि कुछ अधिकारियों को निलम्बित किया गया है, इस संबंध में पहले ही हमने सभी कर्मचारियों और अधिकारियों को यह आदेश दिये थे कि वे जलाशयों का नियमित निरीक्षण करेंगे और रोस्टर वाइज उसे दर्ज करेंगे, जो भी शिकायत हो, उसे शिकायत पुस्तिका में दर्ज करायेंगे।

प्रथम दृष्टया मैंने अपने विभाग के अधिकारियों से पूछा तो पता चला कि टंकी का निरीक्षण किया जाता था, सम्भवतः यह बॉडी कुछ गहराई में रही होगी तो इसमें सहायक की दृष्टि न पड़ी हो। परन्तु यह भी स्पष्ट है कि वहां पर क्लोरीनेशन एवं दवाइयों का नियमित मिश्रण होता रहा, नहीं तो उस क्षेत्र में महामारी या बीमारियों का सामना करना पड़ सकता था। लेकिन उसमें क्लोरीन का नियमित प्रयोग होने के कारण संक्रामक रोगों से बचा गया। इसके अतिरिक्त जो बहुत महत्वपूर्ण बात आपने उठाई, जैसे ही परसों यह जानकारी हमें मिली तो जो भी अधिकारी कर्मचारी वहां थे, जे0ई0, ए0ई0 स्तर के अधिकारियों को सस्पेंड किया गया है, क्योंकि कहीं न कहीं इसमें उनके द्वारा लापरवाही

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

हुई है, और अब इसमें जो भी दोषी पाया जायेगा, उसके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जायेगी। भविष्य के लिए यह निर्देश दे दिये गये हैं कि सभी जलाशयों पर एक चौकीदार की व्यवस्था होगी, उनके ढक्कन सही हों और उन पर ताले लगाये जायें और जलाशयों के चारों तरफ ऐसी फेन्सिंग की जाय कि वह एक तरह से नौ मैन्स लैंड हो जाय। इसके निर्देश तत्काल दे दिये गये हैं। इस तरह की व्यवस्था के बाद मैं समझता हूं कि भविष्य में ऐसी कोई घटना नहीं घटेगी।

श्री हरबंस कपूर–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी कृपया यह बताने का कष्ट करें कि देहरादून नगर क्षेत्र में आपके कितने जलाशय हैं और उनमें कितने चौकीदार नियुक्त हैं तथा कितने भण्डारणों में चारों ओर बाउण्ड्रीवाल खींची गयी है? इसके अतिरिक्त मान्यवर, 100 फीट की ऊंचाई पर वह महिला कैसे पहुंची और किस प्रकार से यह घटना हुई? यह एक गंभीर प्रश्न है, इसकी जांच सरकार कराए। यदि माननीय मंत्री जी यह बता दें कि कितने जलाशयों में कितने चौकीदार नियुक्त हैं और कितने भण्डारणों में चारों ओर बाउण्ड्रीवाल खींची है? तो भविष्य में इनकी सुरक्षा के लिए कार्रवाई सुनिश्चित की जा सकती है।

श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी–

मान्यवर, 28 जलाशयों में सभी जगह 2–2 चौकीदार हैं। ये डे–नाईट ड्यूटी के लिए उपलब्ध कराए गए हैं। मान्यवर, इसमें कहीं न कहीं कोई कमी अवश्य रह गयी है क्योंकि इतनी ऊँचाई पर महिला कैसे पहुंची, यह जांच के माध्यम से ही ज्ञात हो पाएगा। श्री कुंवर सिंह, अपर सचिव को इसकी जांच सौंपी गयी है। पुलिस विभाग में भी इसकी रिपोर्ट दर्ज है। इसमें जो भी दोषी होगा, उसको दण्ड दिया जाएगा। वहां पर संभवतः एम0डी0डी0ए0 द्वारा कूड़े का ढेर लगाया गया है, इसके लिए शायद वह कोई प्लान्ट लगा रहे हैं। वहां पर काम करने वाली या कूड़ा चुगने वाली कोई लेडी भी हो सकती है। एम0डी0डी0ए0 और शहरी विकास मंत्री जी से बात करने के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो सकती है।

श्री हरबंस कपूर–

मान्यवर, किसी स्थान की चौकीदारी के लिए 3 चौकीदारों की आवश्यकता होती है। एक चौकीदार से 8 घण्टे काम लिया जाता है। माननीय मंत्री जी ने कहा कि 2 चौकीदार एक जगह पर नियुक्त हैं। लेकिन जहां तक मेरी जानकारी में है कि कुछ भण्डारणों पर दो क्या एक भी चौकीदार नहीं है। अगर कहीं पर दो चौकीदार नियुक्त भी हैं, तो दो चौकीदार पर्याप्त नहीं हैं। अगर हम पूरी सुरक्षा चाहते हैं और इसके प्रति गंभीर हैं तो निश्चित रूप से 3 चौकीदारों की व्यवस्था एक भण्डारण के लिए होनी चाहिए। इसके साथ ही कुछ अन्य उपाय भी करने होंगे, जिससे कि भविष्य में इस प्रकार की घटनाएं न हों। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या माननीय मंत्री जी इस पर विचार करेंगे और इसकी सुरक्षा का पूरा बन्दोबस्त करेंगे? इस घटना में जो लापरवाही बरती गयी है उसको रोकने के लिए वर्तमान में जो व्यवस्था है, उससे हम संतुष्ट नहीं हो सकते। इसके लिए सिर्फ कुछ अधिकारी और कर्मचारी ही दोषी नहीं हैं, अपितु इसके लिए पूरी व्यवस्था दोषी है। सभी के विरुद्ध कार्रवाई होनी चाहिए।

श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी–

मान्यवर, जैसा कि मैं पूर्व में बता चुका हूं और अब रिपीट भी कर रहा हूं। कल ही सचिव पेयजल को बुलाकर सभी अधिकारियों की बैठक की गई थी और उस बैठक में इस पर स्पष्ट रूप से एक बार फिर निर्देश दिए गये कि जहां–जहां भी हमारे जलाशय हैं, वहां क्या व्यवस्था है, कितने स्टाफ की कमी है? ताकि इस प्रकार की कोई भी घटना भविष्य में घटित न हो। इसके लिए बैठक में पुख्ता इंतजाम करने के लिए स्पष्ट रूप से निर्देश दिये गये हैं। साथ ही बैठक में यह भी स्पष्ट रूप से कहा गया कि इस रिपोर्ट को तत्काल एक सप्ताह के अंदर विभागीय स्तर पर उपलब्ध कराया जाए। जिससे कि जिसकी लापरवाही के कारण यह दुर्घटना घटित हुई, उसके खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाए ताकि भविष्य में इस प्रकार की कोई गलती न हो। मैं आप सभी को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि इस प्रकरण पर ढिलाई से कार्य नहीं किया जाएगा। यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी कि एक महिला का शव इस तरह से बरामद किया जायेगा, यह बहुत ही दुखद घटना है, इससे हम सब बहुत दुखी हैं।

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्य श्री हरबंस कपूर और माननीय मंत्री जी को सुनने के बाद मैं इस सूचना को अग्राह्य करता हूं।

श्री प्रकाश पंत–

माननीय अध्यक्ष जी, विगत दिनों से प्रदेश के प्रशिक्षित बेरोजगार नवयुवक आंदोलनरत हैं। इस आंदोलन में बी0एड0 और सी0पी0एड0 तथा अन्य प्रशिक्षित बेरोजगार अपनी मांगों के समर्थन में आंदोलन चला रहे हैं। यह आंदोलन प्रदेश के विभिन्न जनपदों में चरणबद्ध ढंग से बेरोजगार नवयुवकों द्वारा चलाया जा रहा है। जनपद पिथौरागढ़ में विगत 14 फरवरी से आंदोलन चल रहा था। इस आंदोलन को प्रशिक्षित नवयुवकों ने आमरण अनशन के रूप में परिवर्तित कर दिया। प्रशिक्षित बेरोजगार नवयुवकों के नेता श्री कीर्ति बल्लभ भट्ट, जो पहली बार आमरण अनशन में बैठे थे। उनका स्वास्थ्य खराब हो गया और उन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। फिर भी वहां अनवरत आंदोलन चलता रहा। इसी दौरान माननीय मुख्यमंत्री जी का अल्मोड़ा तथा बागेश्वर का भ्रमण कार्यक्रम हुआ। इस भ्रमण कार्यक्रम के दौरान माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रशिक्षित बेरोजगार नवयुवकों की मांग स्वीकार करते हुए 75000 शिक्षकों के पदों पर उनको सेवायोजित करने का निर्णय ले लिया है जिसका उल्लेख समाचार–पत्रों में भी था। इस निर्णय की जानकारी मिलते ही सभी प्रशिक्षित बेरोजगार नवयुवक काफी हर्षित हुए और उन्होंने अपना आंदोलन उठा लिया। किन्तु इस घोषणा के बाद ही माननीय शिक्षा मंत्री जी का बयान आता है कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, हम शिक्षा मित्र के रूप में उनका चयन प्राथमिकता के आधार पर करेंगे। मान्यवर, कितनी विचित्र स्थिति है। यदि यह खबर अखबार में असत्य छपी थी तो माननीय मंत्री जी को इसका खण्डन करना चाहिए था। मान्यवर, आज उत्तरांचल के प्रशिक्षित नवयुवक हताश और निराश हैं, आज भी ये आन्दोलनरत् हैं, लेकिन यह सरकार "नक्कार खाने में तूती की आवाज" जैसी कार्य कर रही है। मान्यवर, सरकार ने दो लाख लोगों को रोजगार देने का वायदा किया था, लेकिन आज हजारों बी0एड0, सी0पी0एड0 बेरोजगार घूम रहे हैं।

सरकार ने इन्हें प्राथमिकता के आधार पर रोजगार देने का वायदा किया था। मान्यवर, अभी तक बी0टी0सी0 की नियुक्तियां नहीं हुई हैं। यह सरकार बेरोजगार नवयुवकों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए मान्यवर, मैं चाहता हूं, सदन की कार्यवाही रोककर इस पर चर्चा करायी जाय, ताकि जिन नवयुवकों ने राज्य प्राप्ति के बाद रोजगार का सपना देखा था, उनके प्रति यह सरकार किस तरह से खिलवाड़ कर रही है, उजागर हो सके।

शिक्षा मंत्री (श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी)–

मान्यवर, पिछले कुछ वर्षों से जो हमारी पूर्ववर्ती गैर कांग्रेसी सरकारें थी, इन्होंने नियुक्तियों पर रोक लगा रखी थी। मान्यवर, अब हमारी लोकप्रिय सरकार ने निर्णय लिया है जो प्रशिक्षित बेरोजगार नवयुवक हैं, उन्हें रोजगार उपलब्ध कराया जाय। (व्यवधान)

श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत–

मान्यवर, यह सरकार .... (व्यवधान)।

(व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

कृपया रावत जी, आप बैठिये, माननीय मंत्री जी को बोलने दें।

श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी–

मान्यवर, प्रशिक्षित बेरोजगारों की समस्या को देखते हुए और प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षण व्यवस्था को देखते हुए हमने 2600 विशिष्ट बी0टी0सी0 के पद सृजित किये और इन पर नियुक्ति के लिए हमने आवेदन–पत्र मांगे। मान्यवर, इसमें नियुक्तियां शुरू हो गयी हैं। इसके अतिरिक्त हमने 5000 लोगों को पैरा टीचर में लेने की व्यवस्था की है, इसमें हमने निर्णय भी ले लिया है। मान्यवर, इसमें प्राथमिकता प्रशिक्षित बेरोजगारों को दी जायेगी। मान्यवर, इसमें भी सर्वप्रथम उसी ग्राम सभा के प्रशिक्षित बेरोजगार को प्राथमिकता दी जायेगी, जहां पर इनकी नियुक्ति की जा रही हो।

मान्यवर, जो बेरोजगार है, उसको नियुक्ति दी जायेगी, हमने कहा था कि स्नातक पास होना चाहिए। मान्यवर, प्रशिक्षित बेरोजगारों ने मांग की कि प्राथमिकता हमको दी जाए, जब विकास नगर में बैठक हुई तो उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमसे कहा कि घोषणा करें कि प्राथमिकता प्रशिक्षित बेरोजगारों को दी जाएगी, जहां उपलब्ध नहीं होंगे वहां स्नातक को देंगे। मान्यवर, बागेश्वर के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने आश्वासन दिया कि प्रशिक्षित बेरोजगारों को पहले नौकरी दी जायेगी, आप अपना आन्दोलन समाप्त करें तो उन्होंने अपना आन्दोलन समाप्त कर दिया। मान्यवर, इस सम्बन्ध में यह भी कह रहा हूं कि हमने प्रशिक्षित बेरोजगारों के लिए 1200 पद गढ़वाल मण्डल और 800 पद कुमाऊं मण्डल के लिए विज्ञप्ति की। उसमें कुछ नियुक्ति की और कुछ प्रशिक्षित बेरोजगार न्यायालय गये तो न्यायालय ने रोक लगाई, जब रोक हटेगी, तब करेंगे। मान्यवर, जो हमारे विद्यालय खाली पड़े हैं तो हमने 1219 प्रवक्ताओं के पदों को लोक सेवा आयोग में अधियाचन भेजा। मान्यवर, मैं कहता हूं कि अगले सत्र से पहले हर विद्यालयों में

अध्यापकों की नियुक्ति होगी और प्रशिक्षित बेरोजगारों को प्राथमिकता के आधार पर लिया जाएगा।

श्री प्रकाश पंत–

मान्यवर, प्रशिक्षित बेरोजगार नवयुवकों ने मांग रखी थी कि प्राथमिक शिक्षा बी0टी0सी0 के रूप में हमें सेवायोजित किया जाना चाहिए। मान्यवर, 2600 पदों का अध्याचन विगत 3 वर्षों से चल रहा है, यह पिछले सत्र में कहा था कि हम कर रहे हैं। मान्यवर, सत्र गुजर गया, 6 महीने हो गये लेकिन 2600 पदों के अध्याचन की स्थिति यह है कि अधिकतर प्राथमिक विद्यालय शिक्षक विहीन हैं, सरकार इसके लिए ठोस नीति नहीं बना रही है। मान्यवर, माननीय मुख्यमंत्री जी ने सभा में प्रशिक्षित बेरोजगारों को नियुक्ति की बात स्वीकारी थी और यह बात अखबार में भी छपी थी, पर माननीय मंत्री जी इस बात का खण्डन करते हैं। मान्यवर, साढ़े सात हजार पद की बात कर रहे थे तो उस मांग को सरकार ने नकारात्मक किया है। मान्यवर, मैं पुनः अपनी बात पर बल देता हूं और मांग करता हूं कि इस पर चर्चा कराई जाए।

श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी–

मान्यवर, माननीय पंत जी कह रहे हैं कि विशिष्ट बी0टी0सी0 के बारे में हम कई बार घोषणा कर चुके हैं, लेकिन हमारी मंशा साफ है। मान्यवर, छात्र बार–बार कोर्ट में जा रहे हैं और जब कोर्ट का स्थगनादेश होता है तो हम मजबूर होते हैं।

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

श्री महेन्द्र भट्ट जी आप बैठिए।

श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी–

मान्यवर, हम शिक्षा विभाग में 16 हजार नियुक्तियों का निर्णय ले चुके हैं।

(मेजों की थपथपाहट)

श्री प्रकाश पंत–

मान्यवर, निर्णय तो ले चुके हैं, लेकिन इसके क्रियान्वयन में कितना समय लगेगा। 16 हजार में से कितनी नियुक्तियां आपने की हैं। मान्यवर, सदन में हल्की बात नहीं आनी चाहिए। आपके इस निर्णय का हम स्वागत करते हैं, किन्तु सदन में कोई हल्की बात नहीं होनी चाहिए।

नेता प्रतिपक्ष (श्री मातबर सिंह कण्डारी)–

मान्यवर, ये 16 हजार नियुक्तियां कब तक कर लेंगे?

श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी–

मान्यवर, हमने निर्णय लिया है। (व्यवधान) मान्यवर, हरिद्वार में जितने विधायक थे, उनका कहना था कि उर्दू अध्यापकों की कमी है, हमने 217 उर्दू अध्यापकों की नियुक्ति का भी निर्णय लिया है।

(मेजों की थपथपाहट)

श्री प्रकाश पंत–

मान्यवर, 16 हजार नियुक्तियों का जो आश्वासन आपने सदन में दिया है, यह नियुक्तियां आप कब तक करेंगे? आपने कहा है कि हम शिक्षा विभाग में नियुक्तियां करने जा रहे हैं।

श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी–

मान्यवर, अगले सत्र में हम 16 हजार की गिनती पूरी कर लेंगे।

श्री अध्यक्ष–

श्री प्रकाश पंत एवं माननीय शिक्षा मंत्री जी को सुनने के पश्चात् मैं इस सूचना को अग्राह्य करता हूं।

श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। मान्यवर, उत्तरांचल वन रक्षक संघ के जो लगभग 2300 कर्मचारी विगत 12 फरवरी से भूख हड़ताल पर हैं और उनमें से 5 आमरण अनशन पर हैं और हमारे जो मुख्य वन रक्षक उत्तरांचल के हैं, आमरण अनशन पर हैं और मुझे बड़े खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि परसों रात हम और माननीय कपूर साहब वहां पर गए तो न तो संबंधित विभाग के अधिकारी वहां पर गए और न ही उनका मेडिकल परीक्षण किया गया और न ही उनकी खैर–ख्वाह ली गयी। आमरण अनशन के 4 दिन बीत जाने के बाद भी कोई स्वास्थ्य परीक्षण नहीं हुआ, आज या कल में पता नहीं कुछ हुआ या नहीं, इसका उत्तर अभी माननीय मंत्री जी देंगे।

(शेम–शेम की ध्वनि)

मान्यवर, जो 2300 वन रक्षक हैं, उनकी हड़ताल का कारण पंचम वेतन आयोग की सिफारिशों के अनरूप वेतन न दिया जाना है। उनका कहना है कि केन्द्र–सरकार और बजाज समिति ने जो अनुशंसा की थी, उसके अनुसार उनको वेतन दिया जाना चाहिए और यही नहीं सरकार ने उन्हें पंचम वेतन आयोग के अनुरूप वेतन तो नहीं दिया परन्तु उनको चिढ़ाने का एक और कार्य कर दिया, एक और हेड वन रक्षक का पद क्रिएट कर दिया गया और 3249 रु0 का स्केल दे दिया गया।

मान्यवर, इसके लिए विज्ञान विषय की अनिवार्यता कर दी है, मैं समझता हूं कि रेंजर के लिए साइंस की क्या आवश्यकता है? एक वन रक्षक के लिए साइंस की अनिवार्यता क्यों की गई, यह समझ से बाहर है? मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करना चाहता हूं कि उनको पंचम वेतनमान दिया जाना चाहिए और जो वन रक्षक हड़ताल पर चले गये इसके कारण वनों की क्या स्थिति होगी? मुझे जानकारी मिली है कि सहसपुर के आसपास पेड़ काटे जा रहे हैं। जो वन रक्षक सुरक्षा करता है, आज वनों की सुरक्षा की स्थिति बड़ी खराब हो गई है। वे सारे प्रदेश की राजधानी में हड़ताल पर बैठे हुए हैं। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि सरकार उन वन रक्षकों की, जो हड़ताल पर चल रहे हैं, उन पर क्या विचार कर रही है? जो 5 आमरण अनशन पर बैठे हैं, सरकार क्या उनकी देखभाल कर रही है, इस मामले में सरकार क्या निर्णय ले रही है?

वन मंत्री (श्री नव प्रभात)–

मान्यवर, माननीय सदस्य ने जो सूचना दी है, वह ठीक है। 5 वन रक्षक 12 फरवरी से आमरण अनशन पर बैठे हैं। दूसरा है कि 23 सौ वन रक्षक हड़ताल पर हैं। 17 फरवरी आज के दिन मात्र 714 वन रक्षक अपने कार्य से विरक्त हुए हैं। हमारे वन रक्षकों में कुल 2122 हैं। इसके अलावा आपने अवैध पातन की बात की है। वन सुरक्षा के लिए क्या व्यवस्था है, हमारा जो फील्ड स्टाफ है, उसकी संख्या लगभग 10 हजार 5 सौ है और इसमें 714 हड़ताल पर हैं, यह स्थिति चिन्ताजनक नहीं है परन्तु फिर भी जिला प्रशासन के माध्यम से पुलिस, होमगार्ड, पी0आर0डी0 और वन पंचायत का बड़ी संख्या में गठन कर चुके हैं, उनको भी आवश्यकता पड़ने पर उनसे वन सुरक्षा के कार्य से जोड़ने हेतु आदेश जारी कर दिये हैं। इसके बाद चिन्ता है आपकी कि जो अनशन पर बैठे हैं उनका मेडिकल परीक्षण नहीं कराया गया है, मैं माननीय सदस्य को सूचित करना चाहता हूं कि जो 5 लोग हड़ताल पर थे, उनके मेडिकल हेतु उन्हें चिकित्सालय में भर्ती करा दिया गया है। दिनांक 17 फरवरी, 2004 से पांच नये वन रक्षक भूख हड़ताल पर बैठ गये हैं।

श्री अध्यक्ष–

कृपया मेरा आग्रह है कि माननीय सदस्य सदन में अपना मोबाइल बन्द रखें।

श्री नव प्रभात–

मान्यवर, हम उनके लिए पूर्ण रूप से संवेदनशील हैं। आपने जिस प्रकरण का जिक्र किया, उसका एक लम्बा इतिहास भी है, वेतन आयोगों की स्थिति से माननीय सदस्यगण भी परिचित हैं। 1986 में समता समिति ने अपनी संस्तुति दी, उसके बाद 1996 में पंचम वेतन आयोग बना, उत्तर प्रदेश में ही 1996 में बजाज समिति बनी।

मान्यवर, बजाज समिति की सिफारिशें सरकार को दी। वहां मुख्य सचिव के स्तर पर एक समिति बनी। इसकी विसंगतियों को देखते हुए एक निर्णय लिया। जिसका आपने जिक्र किया। समस्त कार्यवाही सन् 1997–1999 में चली थी। विसंगति समिति की रिपोर्ट 28 मार्च, 2003 को विभागों को भेजा गया। 6 नवम्बर, 2003 को यह लागू किया गया, उत्तर प्रदेश में। मान्यवर, वे सारी प्रक्रिया जो उत्तर प्रदेश में लागू है, हम अपने यहां लागू करते हैं और सरकार की यही कोशिश है कि जो भी कार्य हमारे कर्मचारी कर रहे हैं, उनको उत्तर प्रदेश के कर्मचारियों से कम कोई सुविधा न मिले। राज्य सरकार के अधिकार बहुत सीमित होते हैं। जो जी0ओ0 उत्तर प्रदेश में लागू हुए हैं, उसके बारे में यहां विचार–विमर्श किया है। शासनादेश अभी यहां नहीं लागू किया गया है। रही बात उनके बात करने की तो हमने दो–दो बार उनसे बात की। आमरण अनशन पर बैठने से पूर्व हमने उनसे बात की। उनका प्रतिनिधिमण्डल आया था। मैंने उनसे कहा था कि वेतन आयोग की समिति से कोई भी कार्य करवाने के लिए बड़ी सावधानी से कार्य करना पड़ता है। अगर वे चाहें तो समिति बनाकर विस्तृत वार्ता कर सकते हैं, उनका जवाब नहीं आया है।

जहां तक 20% हैड वनरक्षक की बात है उस पर स्टे हो गया है। जो विज्ञान की अनिवार्यता की बात है, यह उनके लिए है जो डायरेक्ट भर्ती से आते हैं जैसे फारेस्टर।

नीचे वालों के लिए यह अनिवार्यता नहीं है। छठा पे कमीशन बनने वाला है। हम पूरा प्रयास करते हैं कि हमारे कर्मचारियों को अच्छी सुविधाएं दी जाएं। हम लगातार उनसे सम्पर्क में है और निवेदन भी किया है कि वे अनशन वापस ले लें। इसका कोई औचित्य नहीं है। आज सुबह भी उनसे वार्ता हुई। हम एक समिति में बैठने के लिए तैयार हैं और उस समिति में जो उनकी शंकाएं हैं, उन पर विचार किया जायेगा।

श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत–

मान्यवर, मैं जानना चाहूंगा कि चण्डीगढ़, पंजाब, हिमांचल, तमिलनाडु इन राज्यों में यह वेतनमान दिया जा रहा है। मान्यवर, उत्तर प्रदेश और उत्तरांचल की भौगोलिक परिस्थितियों में बड़ा अन्तर है और हमारे उत्तरांचल की भौगोलिक परिस्थितियां बहुत ही जटिल हैं और यहां पर अधिक मेहनत करनी पड़ती है। इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि वे वन रक्षकों के बारे में गंभीरता से विचार करें।

श्री नव प्रभात–

मान्यवर, मैंने संक्षेप में निवेदन किया था। विभिन्न वेतनमानों और एक समान कार्य कर रहे कर्मचारियों को वेतन में समता प्रदान करने के लिए 1–1–86 को समता समिति बनी थी। उसने निर्णय लिया था, केन्द्र और अन्य राज्यों में तुलनात्मक सिद्धान्त हो। इसको पंचम वेतन आयोग ने नहीं माना और यही वेतनमान अभी लागू है। राज्य सरकार की शक्ति इसमें सीमित है। फिर भी इनकी जो रक्षा की जा सकेगी, वह की जायेगी। छठवें वेतन आयोग में हम इनकी बात को उठाएंगे। मान्यवर, आन्दोलन करना इनका अधिकार है, लेकिन उनके आन्दोलन के पहले और उसके बाद तर्कशील बातचीत करना सरकार नहीं छोड़ेगी।

श्री अध्यक्ष–

माननीय त्रिवेन्द्र सिंह रावत एवं माननीय मंत्री जी को सुनने के बाद मैं इस सूचना को अग्राह्य कर रहा हूं।

श्री नारायण सिंह जंतवाल–

माननीय अध्यक्ष जी, नियम–56 के अन्दर ग्राह्यता पर आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका कृतज्ञ हूं। मान्यवर, हमारे प्रदेश को चलाने में कर्मचारियों की महत्वपूर्ण भूमिका है और स्वास्थ्य विभाग किसी भी समाज के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे जो स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी हैं, वे महानिदेशालय स्तर पर जिलों से, ब्लॉकों से आकर कार्य कर रहे हैं और उसी के कारण यह बात उठी कि प्राथमिक स्तर से महानिदेशालय स्तर तक के कर्मचारियों का एक कैडर बना कर उनका एकीकरण किया जाये। इस संबंध में महानिदेशालय ने भी कर्मचारियों का एक कैडर बनाये जाने का प्रस्ताव शासन को काफी पहले प्रेषित कर दिया है।

इस विधान सभा के अंदर भी इस प्रश्न पर एक बार से अधिक चर्चा हो चुकी है। सरकार की ओर से कहा गया है कि इसमें विचार किया जायेगा और दूसरी बार कहा गया कि शीघ्र इसमें कार्यवाही हो जायेगी। इतना ही नहीं कर्मचारियों का जो प्रादेशिक सम्मेलन हुआ, उसमें माननीय मंत्री जी एवं अन्य अधिकारियों ने भी घोषणा की कि इनका एकीकरण जल्दी ही कर दिया जायेगा। लेकिन, इतना सब होने के बाद भी स्थिति जस

की तस बनी हुई है। मैं कहना चाहता हूं कि इससे जो कर्मचारी हैं, उनके उत्साह में कमी आती है। इसे लेकर कर्मचारियों में बड़ा आक्रोश है। यदि यह आक्रोश बड़ा रूप लेगा तो निश्चित रूप से इसका खामियाजा पूरे समाज को भुगतना पड़ेगा। मान्यवर, यह बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इतने महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा के लिए सारे नियमों को निलम्बित कर इस विषय पर चर्चा कराई जाये।

* स्वास्थ्य मंत्री (श्री तिलक राज बेहड़)–

मान्यवर, विभाग के अंदर कर्मचारियों का अलग–अलग संवर्ग है, जिनका कैडर भी अलग है, जनपद स्तर पर, मण्डल स्तर पर और राज्य स्तर पर। लिपिकीय संवर्ग के कैडर को एक करने पर शासन स्तर पर विचार किया जा रहा है। ब्लॉक स्तर से महानिदेशालय स्तर तक एक कैडर बनाया जाना सम्भव नहीं है। क्योंकि अभी कर्मचारियों का अंतिम आवंटन नहीं हुआ है, अंतिम आवंटन होने के बाद ही कोई निर्णय लिया जा सकेगा।

श्री नारायण सिंह जंतवाल–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने अभी कहा कि लिपिक स्तर पर विचार कर रहे हैं। मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि पिछले सत्र में इस विषय पर चर्चा हुई थी, माननीय मंत्री जी ने कहा था कि "इस पर विचार किया जायेगा" तो मैंने पूछा था कि "मंत्री जी इसे कब तक पूरा कर लेंगे, कोई समय सीमा उनके द्वारा निर्धारित की गई है" तो मंत्री जी का उत्तर था कि "शीघ्र ही इसे पूरा कर लिया जायेगा।" लेकिन आज भी यह कार्य नहीं हुआ है तो क्या माननीय मंत्री जी ने इसके लिए कोई समय सीमा बनाई भी है या नहीं या सिर्फ आश्वासन पर आश्वासन ही, दिये जायेंगे? दूसरा यह कि सदन में जो भी प्रश्न विधायकों द्वारा किये जाते हैं और माननीय मंत्रियों द्वारा जो आश्वासन दिये जाते हैं, क्या उनकी गरिमा बरकरार रहेगी? मा0 सदस्यों के प्रश्नों को गंभीरता से लिया जायेगा या नहीं?

श्री तिलक राज बेहड़–

मान्यवर, मैंने पहले भी अवगत कराया है कि अभी कर्मचारियों का अंतिम आवंटन नहीं हुआ है, अंतिम आवंटन होने के बाद ही इस बारे में आगे बढ़ा जा सकता है।

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्य श्री जंतवाल जी एवं माननीय मंत्री जी को सुनने के बाद मैं इस सूचना को अग्राह्य करता हूं।

अब हम उठते हैं, अपराह्न 03.00 बजे तक के लिए।

(भोजनावकाश)

(सदन की कार्यवाही श्री अध्यक्ष की अध्यक्षता में अपराह्न 3 बजे पुनः आरम्भ हुई)

वित्तीय वर्ष 2004–2005 के लेखानुदान की मांगों पर चर्चा एवं मतदान अनुदान संख्या–01, विधान सभा, अनुदान संख्या–03, मंत्रि परिषद्, अनुदान संख्या–04, न्याय प्रशासन, अनुदान संख्या–05, निर्वाचन, अनुदान संख्या–06, राजस्व व सामान्य प्रशासन, अनुदान

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

संख्या–07, वित्त, कर, नियोजन, सचिवालय तथा अन्य सेवायें, अनुदान संख्या–08, आबकारी, अनुदान संख्या 10, पुलिस एवं जेल, अनुदान संख्या–11, शिक्षा, खेल एवं युवा कल्याण तथा संस्कृति, अनुदान संख्या–12, चिकित्सा एवं परिवार कल्याण, अनुदान संख्या–13, जलापूर्ति, आवास एवं नगर विकास, अनुदान संख्या–14, सूचना, अनुदान संख्या–15, कल्याण योजनायें, अनुदान संख्या–16, श्रम एवं रोजगार, अनुदान संख्या–17, कृषि, कर्म एवं अनुसंधान, अनुदान संख्या–18, सहकारिता अनुदान संख्या–19, ग्राम्य विकास, अनुदान संख्या–20, सिंचाई एवं बाढ़, अनुदान संख्या–21, ऊर्जा, अनुदान संख्या–22, लोक निर्माण कार्य, अनुदान संख्या–23, उद्योग, अनुदान संख्या–24, परिवहन अनुदान संख्या–25, खाद्य, अनुदान संख्या–26, पर्यटन, अनुदान संख्या–27, वन, अनुदान संख्या–28, पशुपालन सम्बन्धी कार्य, अनुदान संख्या–29, औद्यानिक एवं रेशम विकास

संसदीय कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा हृदयेश)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करती हूं कि अनुदान संख्या–01, विधानसभा के अन्तर्गत रु0 18517 हजार (एक करोड़ पचासी लाख सत्रह हजार रुपये) का लेखानुदान वित्तीय वर्ष 2004–2005 के लिये स्वीकार किया जाय।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–01, विधान सभा के अन्तर्गत रु0 18517 हजार (एक करोड़ पचासी लाख सत्रह हजार रुपये) का लेखानुदान वित्तीय वर्ष 2004–2005 के लिये स्वीकार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।)

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करती हूं कि अनुदान संख्या–03, मंत्रिपरिषद् के अन्तर्गत रु0 33552 हजार (तीन करोड़ पैंतीस लाख बावन हजार रुपये) का लेखानुदान वित्तीय वर्ष 2004–2005 के लिये स्वीकार किया जाय।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–03, मंत्रिपरिषद् के अन्तर्गत रु0 33552 हजार (तीन करोड़ पैंतीस लाख बावन हजार रुपये) का लेखानुदान वित्तीय वर्ष 2004–2005 के लिये स्वीकार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।)

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करती हूं कि अनुदान संख्या–04, न्याय प्रशासन के अन्तर्गत रु0 313946 हजार (इक्कतीस करोड़ उन्तालीस लाख छियालीस हजार रुपये) का लेखानुदान वर्ष 2004–2005 के लिए स्वीकार किया जाय।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–04, न्याय प्रशासन के अन्तर्गत रु0 313946 हजार (इक्कतीस करोड़ उन्तालीस लाख छियालीस हजार रुपये) का लेखानुदान वर्ष 2004–2005 के लिये स्वीकार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।)

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करती हूं कि अनुदान संख्या–05, निर्वाचन के अन्तर्गत रु0 110149 हजार (ग्यारह करोड़ एक लाख उनचास हजार रुपये) का लेखानुदान वित्तीय वर्ष 2004–2005 के लिये स्वीकार किया जाय।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–05, निर्वाचन के अन्तर्गत रु0 110149 हजार (ग्यारह करोड़ एक लाख उनचास हजार रुपये) का लेखानुदान वित्तीय वर्ष 2004–2005 के लिये स्वीकार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करती हूं कि अनुदान संख्या–06, राजस्व एवं सामान्य प्रशासन के अन्तर्गत रु0 949824 हजार (चौरानवें करोड़ अठ्ठानवें लाख चौबीस हजार रुपये) का लेखानुदान वित्तीय वर्ष 2004–2005 के लिए स्वीकार किया जाए।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–04, राजस्व एवं सामान्य प्रशासन के अन्तर्गत रु0 949824 हजार (चौरानवें करोड़ अठ्ठानवें लाख चौबीस हजार रुपये) का लेखानुदान वित्तीय वर्ष 2004–2005 के लिए स्वीकार किया जाए।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करती हूं कि अनुदान संख्या–07, वित्त, कर, नियोजन, सचिवालय तथा अन्य सेवायें के अन्तर्गत रु0 4151176 हजार (चार सौ पन्द्रह करोड़ ग्यारह लाख छिहत्तर हजार रुपये) का लेखानुदान वित्तीय वर्ष 2004–2005 के लिए स्वीकार किया जाए।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–07, वित्त, कर, नियोजन, सचिवालय तथा अन्य सेवायें के अन्तर्गत रु0 4151176 हजार (चार सौ पन्द्रह करोड़ ग्यारह लाख छिहत्तर हजार रुपये) का लेखानुदान वित्तीय वर्ष 2004–2005 के लिए स्वीकार किया जाए।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करती हूं कि अनुदान संख्या–08 आबकारी के अन्तर्गत रु0 20859 हजार (दो करोड़ आठ लाख उनसठ हजार रुपये) का लेखानुदान वित्तीय वर्ष 2004–2005 के लिए स्वीकार किया जाए।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–08, आबकारी के अन्तर्गत रु0 20859 हजार (दो करोड़ आठ लाख उनसठ हजार रुपये) का लेखानुदान वित्तीय वर्ष 2004–2005 के लिए स्वीकार किया जाए।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करती हूं कि अनुदान संख्या–10, पुलिस एवं जेल के अन्तर्गत रु0 1058525 हजार (एक सौ पांच करोड़ पचासी लाख पच्चीस हजार रुपये) का लेखानुदान वित्तीय वर्ष 2004–2005 के लिए स्वीकार किया जाए।

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, वैसे तो बजट पेश करते समय बोला नहीं जाता है, यह परम्परा भी है फिर भी मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इसमें पुलिस के सुदृढ़ीकरण की बात भी होगी। यहां पर एक प्रशासनिक अधिकारी श्री भास्करानन्द जी के घर में चोरी हुई है। यह किस तरह का पुलिस सुदृढ़ीकरण हो रहा है। आम आदमी बहुत चिन्तित है, जब बड़े–बड़े प्रशासनिक अधिकारी सुरक्षित नहीं हैं तो आम आंदमी कैसे अपने आपको सुरक्षित महसूस करेगा।

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, पुलिस का सुदृढ़ीकरण किया जा रहा है। शीघ्र ही चोरी करने वालों का सुराग मिल जाएगा। जल्दी ही उन्हें पकड़ लिया जाएगा।

नेता प्रतिपक्ष (श्री मातबर सिंह कण्डारी)–

माननीय अध्यक्ष जी, मेरा एक निवेदन है। मैं कुछ देर से यहां पर पहुंचा हूं। मान्यवर, अभी जो उत्तरांचल आंदोलन के समय जो घायल हुए हैं, उनको पुलिस ने जेल भेज दिया है। मान्यवर, मेरा अनुरोध है कि उन्हें रिहा कर दिया जाए।

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, इसका बजट से कोई सम्बन्ध नहीं है।

श्री मातबर सिंह कण्डारी–

मान्यवर, अभी मुझे यह सूचना मिली है। इसलिए अभी बता रहा हूं।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–10, पुलिस एवं जेल के अन्तर्गत रु0 1058525 हजार रुपये) एक सौ पांच करोड़ पचासी लाख पच्चीस हजार) रुपये का लेखानुदान वित्तीय वर्ष 2004–2005 के लिए स्वीकार किया जाए।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

पेयजल मंत्री (श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या–11, शिक्षा, खेल एवं युवा कल्याण तथा संस्कृति के अन्तर्गत रु0 4135303 हजार (चार सौ तेरह करोड़ तिरेपन लाख तीन हजार रुपये) का लेखानुदान वित्तीय वर्ष 2004–2005 के लिये स्वीकार किया जाय।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–11, शिक्षा, खेल एवं युवा कल्याण तथा संस्कृति के अन्तर्गत रु0 4135303 (हजार चार सौ तेरह करोड़ तिरेपन लाख तीन हजार रुपये) का लेखानुदान वित्तीय वर्ष 2004–2005 के लिए स्वीकार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करती हूं कि अनुदान संख्या–12, चिकित्सा एवं परिवार कल्याण के अन्तर्गत रु0 884781 हजार (अठ्ठासी करोड़ सैंतालीस लाख इक्यासी हजार रुपये) का लेखानुदान वित्तीय वर्ष 2004–2005 के लिये स्वीकार किया जाय।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–12–चिकित्सा एवं परिवार कल्याण के अन्तर्गत रु0 884781 हजार (अठ्ठासी करोड़ सैंतालीस लाख इक्यासी हजार रुपये) का लेखानुदान वित्तीय वर्ष 2004–2005 के लिये स्वीकार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या, 13–जलापूर्ति, आवास एवं नगर विकास के अन्तर्गत रु0 1081740 हजार (एक सौ आठ करोड़ सत्रह लाख चालीस हजार रुपये) का लेखानुदान वित्तीय वर्ष 2004–2005 के लिये स्वीकार किया जाय।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–13, जलापूर्ति, आवास एवं नगर विकास के अन्तर्गत रु0 1081740 हजार (एक सौ आठ करोड़ सत्रह लाख चालीस हजार) रुपये का लेखानुदान वित्तीय वर्ष 2004–2005 के लिये स्वीकार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करती हूं कि अनुदान संख्या–14, सूचना के अन्तर्गत रु0 37739 हजार (तीन करोड़ सतहत्तर लाख उन्तालीस हजार रुपये) का लेखानुदान वित्तीय वर्ष 2004–2005 के लिये स्वीकार किया जाय।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–14, सूचना के अन्तर्गत रु0 37739 हजार (तीन करोड़ सतहत्तर लाख उन्तालीस हजार रुपये) का लेखानुदान वित्तीय वर्ष 2004–2005 के लिये स्वीकार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

समाज कल्याण मंत्री (श्री राम प्रसाद टम्टा)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या–15, कल्याण योजनायें के अन्तर्गत रु0 673653 हजार (सड़सठ करोड़ छत्तीस लाख तिरेपन हजार रुपये) का लेखानुदान वित्तीय वर्ष 2004–2005 के लिये स्वीकार किया जाय।

श्री प्रकाश पंत–

मान्यवर, मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि लेखानुदान में नई मदें रखने की परम्परा नहीं है। मान्यवर, इसमें कई कल्याणकारी योजनाएं रखी गयी हैं। मान्यवर, मद संख्याः 2225 का 08 इसमें अनुसूचित जाति तथा जनजाति के आयोग के लिए अधिष्ठान व्यय लगभग 8 लाख 33 हजार रखा गया है। मान्यवर, वर्ष 2003–2004 का जो आय–व्ययक अनुदान था, इसका प्राविधान उसमें नहीं है। मान्यवर, इसके बाद मद संख्या : 2225 लेखा शीर्षक 04 में इसमें एक नयी मद रखी गयी है, इसके बाद मद संख्या : 2225 लेखा शीर्षक द्वारा जो विवरण है, कृपया इसका स्पष्टीकरण दें।

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, यह नई मद नहीं है, विगत सत्र में प्रस्तुत हो चुकी थी, क्योंकि पारित होने के लिए समय नहीं था, अब इसमें आंशिक संशोधन हुआ है, इसमें कोई वित्तीय भार नहीं है। (व्यवधान)

श्री प्रकाश पंत–

मान्यवर, यदि अनुपूरक अनुदानों में सम्मिलित किया गया है तो कोई आपत्ति नहीं है, अगर सम्मिलित नहीं किया गया है तो आपत्तिजनक है।

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, वर्ष 2003–2004 के अनुपूरक में है।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–15, कल्याण योजनायें के अन्तर्गत रु0 673653 हजार (सड़सठ करोड़ छत्तीस लाख तिरेपन हजार रुपये) का लेखानुदान वित्तीय वर्ष 2004–2005 के लिये स्वीकार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

परिवहन मंत्री (श्री हीरा सिंह बिष्ट)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या–16, श्रम और रोजगार के अन्तर्गत रु0 96433 हजार (नौ करोड़ चौसठ लाख तैतीस हजार रुपये) का लेखानुदान वित्तीय वर्ष 2004–2005 के लिये स्वीकार किया जाय।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–16, श्रम और रोजगार के अन्तर्गत रु0 96433 हजार (नौ करोड़ चौसठ लाख तैतीस हजार रुपये) का लेखानुदान वित्तीय वर्ष 2004–2005 के लिये स्वीकार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

कृषि मंत्री (श्री महेन्द्र सिंह माहरा)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या–17, कृषि कर्म एवं अनुसंधान के अन्तर्गत रु0 627823 हजार (बासठ करोड़ अठहत्तर लाख तेईस हजार रुपये) का लेखानुदान वित्तीय वर्ष 2004–2005 के लिये स्वीकार किया जाय।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–17, कृषि कर्म एवं अनुसंधान के अन्तर्गत रु0 627823 हजार (बासठ करोड़ अठहत्तर लाख तेईस हजार) रुपये का लेखानुदान वित्तीय वर्ष 2004–2005 के लिये स्वीकार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

* सहकारिता मंत्री (श्री मंत्री प्रसाद नैथानी)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या–18, सहकारिता के अन्तर्गत रु0 54893 हजार (पांच करोड़ अड़तालीस लाख तिरानवे हजार रुपये) का लेखानुदान वित्तीय वर्ष 2004–2005 के लिये स्वीकार किया जाय।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–18, सहकारिता के अन्तर्गत रु0 54893 हजार (पांच करोड़ अड़तालीस लाख तिरानवे हजार रुपये) का लेखानुदान वित्तीय वर्ष 2004–2005 के लिये स्वीकार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या–19, ग्राम्य विकास के अन्तर्गत रु0 784228 हजार (अठहत्तर करोड बयालीस लाख अठ्ठाईस हजार रुपये) का लेखानुदान वित्तीय वर्ष 2004–2005 के लिये स्वीकार किया जाय।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–19, ग्राम्य विकास के अन्तर्गत रु0 784228 हजार (अठहत्तर करोड़ बयालीस लाख अठ्ठाईस हजार रुपये) का लेखानुदान वित्तीय वर्ष 2004–2005 के लिये स्वीकार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

सिंचाई मंत्री (श्री शूरवीर सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या–20, सिंचाई एवं बाढ़ के अन्तर्गत रु0 723811 हजार (बहत्तर करोड़ अड़तीस लाख ग्यारह हजार रुपये) का लेखानुदान वित्तीय वर्ष 2004–2005 के लिये स्वीकार किया जाय।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–20, सिंचाई एवं बाढ़ के अन्तर्गत रु0 723811 हजार (बहत्तर करोड़ अड़तीस लाख ग्यारह हजार रुपये) का लेखानुदान वित्तीय वर्ष 2004–2005 के लिये स्वीकार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करती हूं कि अनुदान संख्या–21, ऊर्जा के अन्तर्गत रु0 2382181 हजार (दो सौ अड़तीस करोड़ इक्कीस लाख इक्यासी हजार रुपये) का लेखानुदान वित्तीय वर्ष 2004–2005 के लिये स्वीकार किया जाय।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–21, ऊर्जा के अन्तर्गत रु0 2382181 हजार (दो सौ अड़तीस करोड़ इक्कीस लाख इक्यासी हजार रुपये) का लेखानुदान वित्तीय वर्ष 2004–205 के लिये स्वीकार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करती हूं कि अनुदान संख्या–22, लोक निर्माण कार्य के अन्तर्गत रु0 1292216 हजार (एक सौ उन्तीस करोड़ बाईस लाख सोलह हजार रुपये) का लेखानुदान वित्तीय वर्ष 2004–2005 के लिये स्वीकार किया जाय।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–22, लोक निर्माण कार्य के अन्तर्गत रु0 1292216 हजार (एक सौ उन्तीस करोड़ बाईस लाख सोलह हजार रुपये) का लेखानुदान वित्तीय वर्ष 2004–2005 के लिये स्वीकार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

औद्योगिक विकास मंत्री (श्री किशोर उपाध्याय)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या–23, उद्योग के अन्तर्गत रु0 561461 हजार (छप्पन करोड़ चौदह लाख इकसठ हजार रुपये) का लेखानुदान वित्तीय वर्ष 2004–2005 के लिये स्वीकार किया जाय।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–23, उद्योग के अन्तर्गत रु0 561461 हजार (छप्पन करोड़ चौदह लाख इकसठ हजार रुपये) का लेखानुदान वित्तीय वर्ष 2004–2005 के लिये स्वीकार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री हीरा सिंह बिष्ट–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या–24, परिवहन के अन्तर्गत रु0 94888 हजार (नौ करोड़ अड़तालीस लाख अठ्ठासी हजार रुपये) का लेखानुदान वित्तीय वर्ष 2004–2005 के लिये स्वीकार किया जाय।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–24, परिवहन के अन्तर्गत रु0 94888 हजार (नौ करोड़ अड़तालीस लाख अठ्ठासी हजार रुपये) का लेखानुदान वित्तीय वर्ष 2004–2005 के लिये स्वीकार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

* पंचायती राज मंत्री (श्री प्रीतम सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या–25, खाद्य के अन्तर्गत रु0 44899 हजार (चार करोड़ अड़तालीस लाख निन्यानवें हजार रुपये) का लेखानुदान वित्तीय वर्ष 2004–2005 के लिये स्वीकार किया जाय।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

खण्ड–2 से खण्ड–3 तक, अनुसूची, खण्ड–1, प्रस्तावना एवं शीर्षक

उत्तरांचल विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 2004
(विधेयक संख्या)वर्ष, 2004

1–04–2004 से 31–07–2004 की अवधि में सेवाओं पर व्यय के लिये राज्य की समेकित निधि में से कतिपय धनराशियों के भुगतान और विनियोग का प्राधिकार देने की व्यवस्था के लिये

विधेयक

भारत गणराज्य के पचपनवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :–

संक्षिप्त नाम

1–यह अधिनियम उत्तरांचल विनियोग (लेखानुदान) अधिनियम, 2004 कहलायेगा।

उत्तरांचल की समेकित निधि में से वर्ष 2004–2005 के लिये रु0 28187573000 का दिया जाना

2–ऐसे विविध परिव्यय चुकाने के लिये जो 31 मार्च, 2005 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर अनुसूची के स्तम्भ–2 में दी गयी सेवाओं और प्रयोजनों के सम्बन्ध में देने पड़ेंगे, उत्तरांचल की समेकित निधि में से इतना रुपया दिया और काम में लाया जा सकता है जो अनुसूची के स्तम्भ–7 एवं 9 में दी हुई धनराशियों से, जिन सब का कुल योग उत्तरांचल विनियोग (लेखानुदान) अधिनियम–2004 (उत्तरांचल अधिनियम संख्या–, सन् 2004) की अनुसूची के स्तम्भ–8 एवं 10 में निर्दिष्ट धनराशियों को सम्मिलित करके रुपये 28187573000 (रुपये दो हजार आठ सौ अठ्ठारह करोड़ पचहत्तर लाख तिहत्तर हजार मात्र) होता है, अधिक न हो।

विनियोग

3–इस अधिनियम द्वारा उत्तरांचल की समेकित निधि में से, जिन धनराशियों को देने और काम में लाने का अधिकार दिया गया है, उनका विनियोग 31 मार्च, 2005 को समाप्त होने वाले वर्ष के सम्बन्ध में उन सेवाओं और प्रयोजनों के लिये किया जायेगा जो अनुसूची में दिये हुए हैं।

31 मार्च, 2005 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिये ऐसे व्यय का अनुमान जिसके लिये लेखानुदान की आवश्यकता है।

(हजार रुपये में)

अनुदान/क्रम तथा उसका विवरण	कुल मांग					1 अप्रैल से 31 जुलाई, 2004 हेतु आवश्यक धनराशि				
	राजस्व		पूंजी			राजस्व		पूंजी		योग
	मतदेय	भारित	मतदेय	भारित	योग (3+4+5+6)	मतदेय	भारित	मतदेय	भारित	
1 2	3	4	5		6	7	8	9	10	11
01–विधान सभा	55537	5764			61301	18517	1922			20439
02–राज्यपाल		17712			17712		5907			5907
03–मंत्रिपरिषद्	100651				100651	33552				33552
04–न्याय प्रशासन	298085	87953	300000		686038	113946	29320	200000		343266
05–निर्वाचन	144757				144757	110149				110149
06–राजस्व एवं सामान्य प्रशासन	1443004	6855	445000		1894859	571490	2955	378334		952779
07–वित्त, कर, नियोजन, सचिवालय तथा अन्य सेवायें	9396658	8270148	470503	9622156	27759465	3994341	3363679	156835	3471549	10986404
08–आबकारी	32575		30000		62575	10859		10000		20859
09–लोक सेवा आयोग		28842		15000	43842		9615		5000	14615
10–पुलिस एवं जेल	2531104		412203		2943307	907721		150804		1058525
11–शिक्षा, खेल, युवा कल्याण तथा संस्कृति	11707353		479983		12187336	3929919		205384		4135303
12–चिकित्सा एवं परिवार कल्याण	2117311		536810		2654121	705840		178941		884781
13–जलापूर्ति, आवास एवं नगर विकास	2630427		110001		2740428	1045072		36668		1081740
14–सूचना	113204				113204	37739				37739
15–कल्याण योजनायें	1810899		210258		2021157	603570		70083		673653
16–श्रम और रोजगार	289137		2		289139	96431		2		96433
17–कृषि कर्म एवं अनुसंधान	1571644		13602		1585246	623287		4536		627823
18–सहकारिता	104620		60036		164656	34881		20012		54893
19–ग्राम्य विकास	1975606		377032		2352638	658549		125679		784228
20–सिंचाई एवं बाढ़	1573697		597697		2171394	524578		199233		723811
21–ऊर्जा	910205	500	3236305		4147010	303409	167	2078772		2382348
22–लोक निर्माण कार्य	1714947	13680	1783156		3511783	589482	4561	702734		1296777
23–उद्योग	349829		1334509		1684338	116617		444844		561461

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24–परिवहन		74643		170001	244644	24886		70002		94888
25–खाद्य		129382		5901	135283	42932		1967		44899
26–पर्यटन		141004		319600	460604	47008		173200		220208
27–वन		1862667		26600	1889267	617258		8867		626125
28–पशुपालन संबंधी कार्य		422826		53001	475827	140949		17667		158616
29–औद्यानिक एवं रेशम विकास		463654	2378	1	466033	154558	793	1		155352
योग :	43965426	8433832	10972201	9637156	73008615	16057540	3418919	5234565	3476549	28187573
राजस्व/पूंजी का कुल योग :		52399258		20609357	73008615		19476459		8711114	
महायोग (कुल मांग एवं आवश्यक मांग)		73008615			73008615			28187573		

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि खण्ड–2 से खण्ड–3, अनुसूची, खण्ड–1, प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री नारायण दत्त तिवारी–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तरांचल विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 2004 पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तरांचल विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 2004 पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

(मद संख्या–27 एवं मद संख्या–28)

मद संख्या–27 तथा 28 पर माननीय सदस्यों का नाम पुकारे जाने पर प्रस्तावकर्ता माननीय सदस्य सदन में उपस्थित नहीं थे।

उत्तरांचल राज्य के अन्तर्राष्ट्रीय सीमावर्ती ग्रामीण क्षेत्र के विकास के लिए पृथक कार्य योजना बनाये जाने विषयक नियम–103 के अन्तर्गत प्रस्ताव

श्री प्रकाश पंत–

मान्यवर, इस सम्मानित सदन के सम्मुख यह प्रस्ताव मेरे द्वारा पिछले सदन में रखा गया था और इसके पीछे एक मूल भावना छिपी हुई है। श्रीमन्, आजादी के बाद उत्तरांचल राज्य का विषम भौगोलिक क्षेत्र विशेष रूप से वह क्षेत्र जो अन्तर्राष्ट्रीय सीमा से जुड़ा हुआ है, वह मूलभूत सुविधाओं से अभी तक वंचित है। इस अन्तर्राष्ट्रीय सीमावर्ती क्षेत्र में जिसमें जनपद–पिथौरागढ़, जनपद–चमोली, व जनपद–उत्तरकाशी आते हैं जिसने न केवल आजादी के बाद वरन् आजादी के पहले भी एक प्रहरी की भांति अपनी भूमिका अदा की। मान्यवर, यह क्षेत्र आजादी के 55–56 वर्ष के बाद भी अभी तक मूलभूत

सुविधाओं के लिए तड़प रहा है, उसकी व्यथा मैं इस सदन के माध्यम से बयान करना चाहता हूं। श्रीमन्, अपने संविधान के अनुच्छेद–39 में राज्य के दिशा निर्देश दिये हैं कि राज्य अपने समाज के अन्दर रहने वाले नागरिकों को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करायेगा। यह राज्य की नीति के निदेशक तत्व में दिया गया है इस संविधान के अनुच्छेद की भावना के अनुरूप यह तीन जनपद जिनका हमने उल्लेख किया, अभी तक मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं।

जनपद पिथौरागढ़ जो नासिडांग से ऊधमसिंह नगर से खटीमा तक काली नदी, जो बाद में शारदा नदी कहलाती है और नेपाल में जाती है, उसके पास के लगभग 150 गांव मूलभूत आवश्यकताओं से वंचित हैं। उनकी भावनाएं हमें एक बहुत बड़े खतरे का संकेत दे रही है। ये अन्तर्राष्ट्रीय सीमा क्षेत्र आज बेरोजगारी की समस्या से ग्रसित है ही। यह बेरोजगारी की समस्या न केवल उत्तरांचल राज्य की है बल्कि सम्पूर्ण विश्व की समस्या बनती चली जा रही है। जिसको हम स्वीकार करते हैं। लेकिन बेरोजगारी के साथ–साथ जब इस क्षेत्र में प्राथमिक शिक्षा का स्तर गिरता चला जायेगा, उसकी स्थिति बद से बदतर होती चली जा रही है, सरकार और राज्य में बैठे हुए मुखिया इस व्यवस्था पर कोई चिंतन न करे, और इस पर कोई निर्णय लेने की क्षमता न करें तो स्थिति दूभर होती चली जायेगी। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि ये जनपद जनसंख्या में दशकीय परिवर्तन हुए हैं और यहां जिस तरह से अनवरत पलायन हुआ है, यह स्पष्ट रूप से गंभीर परिणाम है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस समय वर्तमान में ये तीनों क्षेत्र जनसंख्या घनत्व में सबसे नीचे की रैंकिंग में हैं। उत्तरकाशी सन् 1991 में इसका जनसंख्या घनत्व 30 था, उसके पश्चात् उसकी वृद्धि अपेक्षित नहीं हुई और 37 जनसंख्या घनत्व हुआ। चमोली जो 1991 में 43 था और 2001 में 48 हुआ और पिथौरागढ़ का जनसंख्या घनत्व 1991 में 59 था और 2001 में 65 हुआ। मान्यवर, इसमें अपेक्षित वृद्धि नहीं हो पायी। जनसंख्या घनत्व न भी बढ़ता तो भी कोई खास बात नहीं थी लेकिन, जो और आंकड़े मेरे पास हैं वे तो और भी चौंकाने वाले हैं।

विकास दर, यदि इसके प्रतिशत पर हम गौर करें तो विकास दर का प्रतिशत 1991 में जहां उत्तरकाशी में 25.54 प्रतिशत था वह 2001 में 22.72 प्रतिशत में रह गया। चमोली की विकास दर 1991 में 21.97 प्रतिशत थी, वह 2001 में और नीचे गिरकर 13.51 प्रतिशत पर आ गई। पिथौरागढ़ की विकास दर 1991 में 14.11 प्रतिशत थी वह 2001 में 10.92 प्रतिशत पर आ गई। मान्यवर, विकास दर निरन्तर घटती जा रही है, उसके प्रतिशत में कमी आई है। जनसंख्या घनत्व बढ़ना था, वह नहीं बढ़ पाया। परिणाम यह है कि वहां गांव खाली होते जा रहे हैं। लोग अपने परिवारों का स्तर बढ़ाने के लिए शिक्षा के नाम पर पलायन करते जा रहे हैं। आज स्थिति यह है कि पूरे उत्तरांचल में 955 ऐसे गांव हैं जो गैर आबाद हैं। इनमें से अधिकतर दूरस्थ गांव हैं। इसका कारण यह है कि वहां प्राथमिक शिक्षा का स्तर नहीं के बराबर है। पिथौरागढ़ में 304 ऐसे विद्यालय हैं, जहां एकल अध्यापक है। एक अध्यापक पांच कक्षाओं को कैसे पढ़ायेगा? आज उत्तरांचल की स्थिति ऐसी हो गई है कि यहां दोहरी शिक्षा व्यवस्था लागू है। पैसे वाले लोगों के लिए अच्छे स्कूल हैं और गरीबी की रेखा के नीचे जीवन–यापन करने वालों के लिए ऐसे स्कूल हैं जहां एक ही अध्यापक है। यह प्राथमिक शिक्षा की स्थिति है। इस संबंध में सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया है। भले ही कितनी ही बातें कही जा रही हों लेकिन हकीकत यह है कि सरकार शिक्षा की ओर से मुंह मोड़े हुए है।

प्राथमिक शिक्षा के स्तर को बढ़ाने के लिए सरकार ने कोई कार्यक्रम नहीं चलाया है। चाहे डी0पी0ई0पी0 कार्यक्रम की बात हो, शिक्षा मित्रों की भर्ती की बात हो, 16 हजार शिक्षकों की भर्ती की बात माननीय शिक्षा मंत्री जी ने कही लेकिन, हकीकत यह है कि प्राथमिक शिक्षा का स्तर गिरता चला जा रहा है। दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में जो गांव हैं, उनका जिक्र मैं कर रहा हूं। इन गांवों में आर्थिक संसाधनों की कमी है। इसके कई कारण हैं। सबसे बड़ा कारण इन गांवों में संचार सुविधाओं का उपलब्ध न हो पाना है। इन 56–57 वर्षों में हमने इस देश को गांव और शहर के बीच में बांट दिया है। किसी ने चिन्ता नहीं की कि गांवों की स्थिति क्या हो गई है? कैसे गांवों का विकास होगा, कैसे गांव का युवा इस समाज के काम आ पायेगा, मानवीय संसाधनों का उपयोग हम कैसे कर पायेंगे? इसकी चिन्ता किसी ने नहीं की। केन्द्र में बैठी हुई हमारी भारत सरकार ने गांवों के विकास के लिए 60 प्रतिशत बजट रखा। और जिसका परिणाम यह हुआ कि प्रधानमंत्री ग्राम्य सड़क योजना के अंतर्गत उत्तरांचल राज्य को भी लाभ मिला। जिसमें वर्ष 2007 तक 250 गांवों को जोंड़ने का लक्ष्य रखा गया था।

अब जो आंकड़े मैं बताने जा रहा हूं वह और भी चौंकाने वाले हैं। मान्यवर, उत्तरांचल राज्य को पहली किस्त मिली जिसमें 69 मोटर मार्ग बनने थे, यह स्वीकृत हुए थे लेकिन बने मात्र 49, दूसरी किस्त मिली, 95 मोटर मार्ग स्वीकृत हुए लेकिन बने मात्र 9 और तीसरी किस्त आई ही नहीं क्योंकि सरकार कार्य पहले के ही पूरा नहीं करा पाई थी। अब 2007 तक वह गांव का अंतिम व्यक्ति टकटकी लगाकर देख रहा है कि उसके घर तक सड़क कब आयेगी। श्रीमन्, यह जिम्मेदारी राज्य सरकार की है। गांवों को शहरों से जोड़ा जाना चाहिए। ताकि वे मूलभूत सुविधायें उन ग्रामवासियों को भी प्राप्त हो सकें, आज वहां का आदमी आक्रोशित है, वह गांव का अंतिम आदमी देख रहा है कि सड़क कब आयेगी।

मान्यवर, मोटर मार्ग व्यक्ति के जीवन स्तर में सुधार ला सकता है, उसके प्रयोग से वे सामान्य जीवन धारा में जुड़ सकते हैं। आज सरकार को बने 2 वर्ष व्यतीत हो गये, कहने को तो सरकार बहुत कुछ कह रही है परन्तु सत्य यह है कि सरकार प्रधानमंत्री सड़क योजना के बाद भी अपने राज्य को सड़कों से नहीं जोड़ पाई है। हमारी कार्य शक्ति का मूल बिन्दु तो उन गांवों में ही बसता है। वे लोग अपने खाने भर का खाद्यान्न तो पैदा कर लेते हैं, लेकिन आवश्यक आवश्यकताओं को खरीदने के लिए उनके पास पैसे नहीं हैं, श्रीमन्, आपके निर्वाचन क्षेत्र की भी यही स्थिति है और आप भी मेरी बात से सहमत होंगे।

मान्यवर, मैं तो उस इलाके की बात कर रहा हूं जिसके पास ही काली नदी है और उसके पार नेपाल है। जहां आजकल आतंकवाद का बोलबाला है और वहां पर ऐसी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए लोगों को लालच दिया जाता है। कहीं कोई व्यक्ति कहीं से लालच में आ गया तो यदि कोई ऐसी घटना हो गई तो खतरनाक स्थिति उत्तरांचल राज्य में आ जायेगी, श्रीमन्! आज यह संकल्प प्रस्तुत करने का मकसद मेरा यही था जो ग्रामीण दूरस्थ अंचल हैं, उनकी आज क्या स्थिति है? उनकी आवाज को इस सदन के माध्यम से इस सरकार के कानों में जानी चाहिए कि उस क्षेत्र के लोग कैसे विपन्नता में जी रहे हैं। उन्हें 56–57 साल बीत जाने के बाद भी आज उन्हें 20–25 किलोमीटर दूर पैदल चलकर आना पड़ता है। इस स्थिति पर निश्चित रूप से गौर करना पड़ेगा। आखिर

उन्हें भी मूलभूत चीजों की, विकास की आवश्यकता है। सरकार को पता चलना चाहिए कि आखिर गांव के अंतिम व्यक्ति की क्या आवश्यकता है? जिससे गांवों को राष्ट्र की मुख्य धारा में जोड़ा जा सके। इस पर गंभीरतापूर्वक विचार करना होगा।

मान्यवर, पहली बात है सामाजिक न्याय देने की, जिसे हम कहते हैं कि हमने इसे अंगीकृत किया है और भारत के संविधान में भी इसकी बातें कही गई हैं और उसको भी हम अंगीकार कर रहे हैं। लेकिन आज 57 साल बाद भी इसका लाभ हमें नहीं मिल पा रहा है। मान्यवर, सामाजिक न्याय की तीन मूल आवश्यकतायें हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य और विकास, यह सब सामाजिक न्याय के कारक हैं। शिक्षा और स्वास्थ्य में कोई भी चीज उन्हें आज तक नहीं मिली है, भले ही सरकार बड़ी-बड़ी बातें कर ले लेकिन जो गांव का अंतिम व्यक्ति है, उस तक यह चीजें पहुंचाने में हम नाकामयाब रहे हैं, इस पर ध्यान दिया जाना चाहिए। हर व्यक्ति को इन चीजों को उपलब्ध कराने का प्रयास करना चाहिए। श्रीमन्, उत्तरांचल राज्य की अवधारणा ही इन तीन चीजों को लेकर थी, यही अंतर्विरोध था कि शिक्षा, स्वास्थ्य और विकास, इन्हीं का अंतर्विरोध था। लेकिन राज्य गठन के तीन साल बाद भी उस क्षेत्र के लोगों को इसकी शून्यता ही मिली है। वहां पर यह सामान्य और मूलभूत चीजें उपलब्ध नहीं हैं। पिछली बार स्वास्थ्य नीति पर यहां सदन में चर्चा हुई थी, मैंने भी उसमें कुछ सुझाव दिये थे कि एक अच्छी स्वास्थ्य नीति उत्तरांचल राज्य में बननी चाहिए, लेकिन मात्र असफलता ही हाथ लगी। मैंने कहा था कि स्वास्थ्य नीति ऐसी होनी चाहिए जिसका लाभ गांव के अंतिम व्यक्ति को स्वास्थ्य सुविधा सुनिश्चित हो सके। स्वास्थ्य नीति का जो प्रारूप सरकार सदन में लेकर आई थी, वह बिल्कुल भी व्यवहारिक नहीं है।

मान्यवर, आज भी वहां के लोगों को 20-25 किलोमीटर पैदल चल कर सड़क पर आना पड़ता है। आज आवश्यकता है कि आर्थिक रूप से उनको किस तरह सम्पन्न कर सकते हैं, इस पर विचार किया जाए। जो स्थानीय उत्पादन हैं, उनको किस तरह बढ़ाया जा सकता है और इन उत्पादनों का किस तरह विपणन कर सकते हैं। दो वर्षों में इनके विपणन की कोई व्यवस्था सरकार नहीं कर पायी है।

मान्यवर, माननीय मुख्यमंत्री जी विकास पुरुष के नाम से प्रतिस्थापित हैं, हमें विश्वास था कि माननीय मुख्यमंत्री जी उन गांवों के विकास के लिए कोई दीर्घकालिक योजना लाएंगे, उन डेढ़ सौ गांवों के लिए कोई योजना लाएंगे। आज भी जो दूरस्थ ग्रामीण अंचलों पर एक प्रहरी के रूप में विद्यमान हैं। इस वीरभूमि वसुन्धरा की रक्षा का भाव उनके अन्दर है, केवल आवश्यकता है, उनको प्रोत्साहित करने की। उनको सही दिशा देकर उनका उपयोग हम राज्य के विकास में कर सकते हैं लेकिन ऐसा नहीं हो पाया है।

हम इस सदन में केवल खोखली बातें कह कर उत्तरांचल राज्य की जनता के प्रति वफादार नहीं हो पाएंगे। जो न्यूनतम आवश्यक आवश्यकताएं हैं और जो सेवाएं उन्हें उपलब्ध करानी चाहिएं, सब उन्हें मिलनी चाहिएं, जिससे उनके जीवन स्तर का विकास हो पाए। मान्यवर, उन्हें मूल रूप से शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराना होगा। मान्यवर, पेयजल मंत्री जी यहां पर बैठे हैं, चाहे आप गांवों को एन0सी0, पी0सी0 या एफ0सी0 गांवों में विभाजित कर दें लेकिन आज 10 लीटर प्रति व्यक्ति प्रति दिन पेयजल उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। केवल बात कहनी है, इसलिए नहीं कह रहा हूं, बल्कि यह सच्चाई है इसलिए

कह रहा हूं। चेहरे बेनकाब होने चाहिएं। वहां पर वर्ष भर पेयजल उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। वहां पर गुरुत्वाकर्षण से प्राप्त होने वाले पेयजल की योजनाएं चल रही हैं और जल स्तर में लगातार कमी आ रही है तथा लिफ्ट योजनाएं वहां पर बन नहीं रही हैं। मान्यवर, मैंने स्वास्थ्य सुविधाओं का जिक्र किया। उस अन्तिम व्यक्ति तक हम स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं। ग्राम सभा स्तर तक स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करानी चाहिएं। मान्यवर, विद्यालयों की स्थिति के सम्बन्ध में कहना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष–

माननीय पंत जी, कृपया समाप्त करें।

श्री प्रकाश पंत–

मान्यवर, मैं समाप्त कर रहा हूं, मान्यवर, आज वहां के विद्यालय भवन विहीन हैं, आपने कम्प्यूटर अवश्य दे दिए हैं, लेकिन विद्यालयों के भवन नहीं हैं। मान्यवर, मैं इस सदन के माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार ऊधमसिंह नगर, चम्पावत और पिथौरागढ़ के इन सीमावर्ती डेढ़ सौ गांवों के लोगों के विकास के लिए पृथक कार्य योजना बनाए, जिससे इनका समुचित विकास हो सके।

संसदीय कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा हृदयेश)–

मान्यवर, माननीय प्रकाश पंत जी ने उत्तरांचल राज्य के अन्तर्राष्ट्रीय सीमावर्ती ग्रामीण क्षेत्र के विकास के लिए पृथक कार्य योजना बनाने के सम्बन्ध में अपने अनुभव के आधार पर जानकारी दी। मान्यवर, स्वयं पंत जी शायद विदित होंगे कि उत्तरांचल राज्य के अन्तर्राष्ट्रीय सीमावर्ती क्षेत्रों के विकास के लिए पृथक कार्य योजना बनाये जाने विषयक प्रस्ताव के सम्बन्ध में भारत सरकार द्वारा शत प्रतिशत वित्त पोषित योजना बार्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम वर्ष 2000–2001 में संचालित है।

इस योजना के अन्तर्गत पांच जनपदों में 9 सीमान्त ब्लॉक आच्छादित हैं। इसमें एक सीमान्त क्षेत्र विकास प्राधिकरण भी सरकार के द्वारा सीमान्त क्षेत्रों के विकास के लिए गठित किया गया है। जिसका मुख्य उद्देश्य जनपद उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, पिथौरागढ़ तथा चम्पावत में स्थित सभी विकास खण्डों में त्वरित विकास करने हेतु विशेष कार्ययोजना तैयार कर उसका क्रियान्वयन सुनिश्चित करना है।

सरकार द्वारा इस प्राधिकरण को विकास कार्य निष्पादित कराने हेतु अतिरिक्त वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया है। सीमान्त जनपद चम्पावत में भारत सरकार द्वारा शत प्रतिशत वित्त पोषित एक अन्य योजना राष्ट्रीय समय विकास योजना स्वीकृत हो चुकी है, इसके अन्तर्गत चम्पावत जनपद के विकास हेतु अगले तीन वर्षों में प्रतिवर्ष 15 करोड़ रुपये की धनराशि उपलब्ध कराये जाने पर सहमति प्राप्त हो चुकी है एवं वर्तमान में जनपद स्तर पर कार्य योजना बनाये जाने का कार्य प्रगति पर है। इसके अतिरिक्त योजना आयोग भारत सरकार द्वारा स्वीकृत धनराशि जिला अधिकारियों के माध्यम से कार्यदाई संस्थाओं को उपलब्ध कराई जाती है। इस योजना के अन्तर्गत उत्तरांचल का अंश 4.16 करोड़ रुपये निर्धारित है। योजना के प्रारम्भ से अद्यतन 19.40 करोड़ रुपये की धनराशि उपलब्ध कराई जा चुकी है, जिसके सापेक्ष अद्यनान्त सूचना के अनुसार 16.54 करोड़ रुपये का व्यय किया जा चुका है।

मान्यवर, मैं यह भी उल्लेख करना चाहती हूं कि जो विकास खण्ड वर्तमान में योजना आयोग की उपरोक्त सीमान्त क्षेत्र विकास प्राधिकरण के अन्तर्गत सम्मिलित नहीं हैं, उन्हें भी राज्य सरकार द्वारा अपने संसाधनों से उसी दर से वार्षिक आर्थिक सहायता दी जायेगी जिस दर से योजना आयोग के द्वारा वर्णित योजना से अन्य सीमान्त क्षेत्र के विकास खण्ड को दी जा रही है। मान्यवर, इस प्राधिकरण की अध्यक्षता माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा की जायेगी तथा उपाध्यक्ष योजना आयोग के प्राधिकरण के उपाध्यक्ष होंगे। प्राधिकरण के अन्य सदस्यों में सीमान्त क्षेत्रों के माननीय विधायक सदस्य रहेंगे तथा मुख्य सचिव प्राधिकरण के सदस्य सचिव रहेंगे। इसके अतिरिक्त प्राधिकरण का कार्य सीमान्त विकास खण्डों में सामाजिक, आर्थिक विकास की बेंच मार्क, सर्वेक्षण करना, अवस्थापना सुविधा में गैप्स चिन्हित करना, सीमान्त क्षेत्र के निवासियों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए योजनाएं तैयार करना और चलाई जा रही परियोजना का अनुश्रवण एवं मूल्यांकन करना तथा शासन को इन क्षेत्रों के लिए नीतियां बनाने हेतु सलाह देना है।

मान्यवर, सीमान्त क्षेत्र विकास योजना क्रियान्वित करने के लिए योजना आयोग के मार्ग निर्देश सिद्धान्तों के अनुसार वर्तमान में मुख्य सचिव, सचिव तथा अन्य सदस्यों के अतिरिक्त सलाहकार योजना आयोग भारत सरकार, सब एरिया कमाण्डर, आई0टी0बी0पी0 एस0एस0बी0 तथा गृह मंत्रालय भारत सरकार के प्रतिनिधि भी सम्मिलित हैं। उन्हें पूर्ववत् प्राधिकरण की स्क्रीनिंग कमेटी में स्थान दिया जाएगा।

मान्यवर, इन सबसे स्पष्ट है कि माननीय विधायक जी जो स्वयं भी इसमें एक सम्मानित सदस्य हैं, उसकी बैठकों में अपने सुझाव दें। मान्यवर, जो 19.40 लाख रुपये स्वीकृत हुए थे उसमें से 16.54 लाख रुपये खर्च किए जा चुके हैं।

मुख्यमंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी)–

श्रीमन्, सबसे पहले तो यह अपना कर्तव्य समझता हूं कि सम्मानित सदस्य पिथौरागढ़ जिन्होंने यह प्रस्ताव प्रस्तुत किया है, मैं उसके लिए उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूं कि वह इस सदन के सम्मानित अध्यक्ष भी रहे हैं। उत्तरांचल के विकास के लिए भी वे काफी जागरुक रहते हैं, उनको बहुत पुराना अनुभव है जो उन्होंने इतने महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर हमारा ध्यान आकृष्ट किया। मुझे वह दिन याद आ रहे हैं, उन हल्कों के, उन क्षेत्रों के जब श्री गोविन्द बल्लभ पंत जी जो प्रथम मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के रहे हैं। उस समय से इस क्षेत्र के बारे में विधान सभा के अन्दर 1952 से मुझे आवाज उठाने का अवसर मिला। मान्यवर, पहले क्या था उस क्षेत्र में और आज क्या है उस क्षेत्र में, यह भी आपको ज्ञात होगा। मान्यवर, भारत रत्न पण्डित गोविन्द बल्लभ पन्त जी के समय से चन्द्रभान गुप्त और हेमवती नन्दन बहुगुणा के समय से लगातार प्रयास होता रहा है।

मान्यवर, जब अन्तर्राष्ट्रीय संकट चीन से हुआ तो चीन ने हमारी सीमान्त सीमाओं का अतिक्रमण करना प्रारम्भ किया था तभी से भारत सरकार की इस सीमान्त प्रदेश के लिए चिन्ता रही। मान्यवर, पहले पिथौरागढ़, चमोली तथा उत्तरकाशी सीमान्त जिले नहीं बने थे। मान्यवर, चीन संकट के बाद ही इन जिलों का निर्माण हुआ था। मान्यवर, पीलीभीत से लेकर टनकपुर तक पहले रोड का निर्माण नहीं था, यहां पर केवल रेलवे लाईन ही एक मात्र साधन थी, आज टनकपुर से तवाघाट तक सड़क बनी हुई है। माननीय सदस्य भलीभांति अवगत हैं कि नयी सड़क गरब्यांग तक स्वीकृत है, जो अंतिम

चरण में है, इसके बाद यह दूरी बहुत कम हो जायेगी। माननीय सदस्य ने जिन 130 गांवों का उल्लेख किया है, इसके बाद यह दूरी कम हो जायेगी।

मान्यवर, नेपाल के बारे में यहां पर टिप्पणी करना, मैं समुचित नहीं समझता हूं। यह नेपाल का आन्तरिक मामला है, वे किस विचारधारा के अन्तर्गत चले, यह उनका निजी मामला है। मान्यवर, नेपाल एक ऐसा देश है जो कभी गुलाम नहीं रहा है, इसके बावजूद भी वहां गरीबी बहुत है। हमारे यहां अभी भी नेपाल से मजदूर आ रहे हैं। पहले भी सबसे ज्यादा मजदूर यहीं से आते थे, जिन्हें डोटियाल कहते थे। मान्यवर, नेपाल में आज भी आन्तरिक व्यवस्था एक चुनौती बनी हुई है और हम चाहते हैं कि वह इस चुनौती का अन्त सफलतापूर्वक करे तथा एक आधुनिक देश के रूप में सामने आये।

मान्यवर, सुरक्षा की दृष्टिकोण से यह बहुत आवश्यक है। मान्यवर, बार्डर सड़कों का निर्माण कार्य देश हित में था। हमें एकांगी होकर सारी स्थिति को नहीं देखना चाहिए। मान्यवर, विकास का ग्राफ जो 1989–1990 तक था, उसमें फोकस की कमी होने की वजह से कमजोर होता चला गया, इसलिए आंदोलन हुआ।

मान्यवर, मैं ऐसे प्रश्न नहीं उठाता हूं जिससे राजनीति प्रेरित हो, कहने को मैं कह सकता हूं कि पहली सरकार में क्या हुआ पर मैं नहीं कहूंगा। (व्यवधान) आज भी बुनियादी ढांचा शासन का बनाना बाकी है। मान्यवर, मैं इतना ही आग्रह करूंगा कि जो आजादी के बाद से आज तक हुआ, उसे नकारें नहीं। हमारा कर्तव्य है कि जो पुरानी बुनियादें पड़ी हैं, उनको बढ़ाते हुए सीमांत क्षेत्र और अर्ध सीमांत क्षेत्र को बढ़ायें। (व्यवधान) मान्यवर, हमारे यहां भांवरी और पहाड़ के गांव होते हैं, भोटिया जाति के लोग 6 महीने पहाड़ में और 6 महीने भांवर में रहते थे। मान्यवर, आज भी भोटिया पड़ाव पड़े हुए हैं, भोटिया लोग तिब्बत आदि जगहों से सामान लाकर व्यापार चलाते थे। आज भोटिया लोगों ने उत्तर प्रदेश और देश में स्थान प्राप्त किया है और बार्डर में सबसे बहादुर सैनिक माने जाते हैं।

मान्यवर, यह बड़े ही गर्व की और गौरव की बात है कि रघुनन्दन टोलिया जैसे योग्य व्यक्ति आज मुख्य सचिव हैं। बौद्धिक रूप से जो उनका योगदान रहा है, जो नेतृत्व के क्षेत्र में उनका योगदान रहा है, उनको हम नकार नहीं सकते। पिथौरागढ़ से आप जैसे योग्य व्यक्ति चुनकर आए हैं, जिनमें विरोध करने की बहुत क्षमता है। जब आप विरोध में इतना चमक रहे हैं तो सहयोग में, शासन में जब होंगे तो आप कितने चमकेंगे। तो मैं कहूंगा कि पॉजिटिव और निगेटिव दोनों में सहयोग कीजिए। तो जितना हो रहा है, अभी–अभी माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो घोषणा की, यह मत समझिए कि वे इतने कट्टरपंथी हैं। हमें हमारे मंत्रि–मण्डल पर गर्व है कि इस बात को कोई भी नहीं समझता कि किसी भी चीज को दलीय दृष्टिकोण से देखें। कहीं जिन्दाबाद, कहीं मुर्दाबाद, आत्मदाह की प्रवृत्ति, क्या यह सब कुछ अच्छा है, क्या इससे राज्य बनेगा? हां रचनात्मक विरोध स्वीकार है। आपने बड़ी कृपापूर्वक कहा विकास पुरुष। मान्यवर, बहुत कुछ हो रहा है, चम्पावत को 15 करोड़ की राशि दी जा रही है। आपने कहा काम रुक रहा है, तो आधी देरी जो हो रही है, वह वन विभाग के समरेखण के झगड़े के कारण हो रही है। इसमें यह भी देखना है कि पर्यावरण प्रभावित नहीं होना चाहिए।

शासनकाल चाहे पूर्ववर्ती मुख्यमंत्रियों का रहा हो, चाहे हमारा रहा हो, चाहे उत्तर प्रदेश में रहा हो, वहां तो और मुश्किल थी, अब यहां कम से कम विधायक फालो-अप तो कर रहे हैं। यदि आप गहराई से देखेंगे तो पायेंगे कि आधी देरी क्यों हो रही है। रुपया मंजूर है, सब कुछ मंजूर है लेकिन वन विभाग की मंजूरी नहीं है। और भी कई समस्यायें हैं, विकल्पधारियों की समस्या का निदान अभी नहीं हुआ है। पब्लिक सर्विस कमीशन अभी बना है, आप ही के समय में बना है, पब्लिक सर्विस कमीशन बनने में कितना समय लगा? पब्लिक सर्विस कमीशन बनने के बाद चारों मेम्बर आए तो उन्होंने कहा, हमारे पास फर्नीचर की कमी है, स्टाफ की कमी है।

मान्यवर, बुनियादी ढांचा जब एक राज्य में कमजोर हो, वह कैसे ठीक हो सकता है, चाहे वहां पर विकास पुरुष बैठे हों या कोई और। हमने एक हजार नियमावलियां बनायी हैं, उनमें भी बहुत कमियां हैं। श्रीमन्, आप एक कृपा करेंगे कि सीमान्त क्षेत्रों में हमारी भी दो बात जोड़ देंगे, मेरा आपसे आग्रह है, प्रस्ताव के लिए आपको धन्यवाद देता हूं, जो हो रहा है, वह भारत सरकार देने वाली है और आप करने वाले हैं और दिलवा दीजिए, सरकार आपकी है और आपके ही काम आयेगी। कोई भी सरकार आयेगी तो टैक्स कहां लगायेगी। हमारे आमदनी के श्रोत क्या हैं? हम पर्यटन और ऊर्जा की शक्ति को बढ़ा रहे हैं, धौली गंगा को हम प्राथमिकता दे रहे हैं। यह सब केन्द्र की योजनायें हैं। मैं आपको आश्वस्त करता हूं। इतने वर्षों की सेवा अर्पित करता हूं और सीमान्त को समर्पित है।

चीन में कैसे काम होता है, हमने देखा है। हमारे यहां हिमालय का वह हिस्सा है, यहां पर घटिया है। यह ठीक है कि शिक्षा की यहां कठिनाई है, कितने ट्रान्सफर की अर्जियां आती हैं, लोग वहां पर जाते नहीं हैं जो अति दुर्गम क्षेत्र हैं। वहां पर उनके लिए आवास की व्यवस्था होनी चाहिए। चाहे वह डाक्टर हों चाहे टीचर, उनके लिए आवास व्यवस्था हमारी प्राथमिकता है। वह वहां जायें, अगर रहने की व्यवस्था नहीं होगी तो वह वहां पर कैसे रहेंगे, उनके बच्चे कहां रहेंगे। आधा समय तो ट्रान्सफर में ही जाता है। वे कहते हैं कि हमने आपको वोट दिया है, हमने आपकी सरकार बनायी है, यह सभी सरकारों से कहते हैं, हमारी संसदीय कार्य मंत्री जी ने पूरा विवरण रखा। दो शब्द जोड़ते हुए आपसे आग्रह है कि यह प्रस्ताव निशेधात्मक नहीं प्रशेधात्मक ध्यानाकर्षण का प्रस्ताव है।

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्य, आप इस प्रस्ताव को वापस ले रहे हैं।

श्री प्रकाश पंत–

मान्यवर, संसदीय कार्य मंत्री जी ने जो विषय रखा, वह हमारे द्वारा रखे हुए विषय से बिल्कुल भिन्न है। लगभग डेढ़ सौ गांव जो नागीढांग से लेकर बनवसा के काली नदी से लगे गांव हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत सफाई से पूरी तरह से ट्रेक से ही बाहर करने की कोशिश की। आपने जिस सड़क मोटर मार्ग का उल्लेख किया, वह टनकपुर से तवाघाट तक 200 किलोमीटर है। मान्यवर, यह पूरा मेरा क्षेत्र नहीं है। ये गांव 20–20 कि0मी0 15–15 कि0मी0 से जुड़े हुए हैं। जिस सड़क की हम बात कर रहे

हैं वह गरुतापंचेश्वर सड़क है जो 20 वर्ष से प्रस्तावित है। यह प्रधानमंत्री सड़क योजना में प्रस्तावित हो गयी है लेकिन उसका अभी तक टेण्डर ही नहीं हुआ। मान्यवर, यह एक व्यवहारिक कठिनाई है।

मान्यवर, उन 150 गांवों की बात की है जो अभी तक मूलभूत आवश्यकताओं से वंचित हैं। मैं इस सम्मानित सदन के माध्यम से इसकी जानकारी दे रहा हूं कि उन गांवों में अभी तक मूलभूत आवश्यकताओं की ओर ध्यान नहीं दिया गया है जो अभी तक एक सेवाभाव से एक प्रहरी की तरह सीमावर्ती क्षेत्रों की सीमा पर खड़े हुए हैं जिससे कि उन गांवों के बारे में ध्यान आकर्षित हो सके। मान्यवर, उस क्षेत्र से कनालीछीना, चम्पावत आदि विधान सभा क्षेत्र जुड़े हुए हैं, ये उस क्षेत्र के गांव है जहां मूलभूत आवश्यकताओं की कमी है। मान्यवर, मैं इससे उस खतरे की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं जो हमारे पड़ोसी देशों में हो रहा है। इसलिए मैं चाहता हूं कि सम्मानित सदन के माध्यम से सरकार को निर्देशित करें कि इसकी विस्तृत कार्य योजना बनायी जाए।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि "इस सदन की सुनिश्चित मत है कि उत्तरांचल राज्य के अन्तर्राष्ट्रीय सीमावर्ती ग्रामीण क्षेत्र के विकास के लिए पृथक कार्य योजना बनाना अत्यावश्यक है।" को स्वीकार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

(माननीय अध्यक्ष द्वारा माननीय सदस्य श्री मदन कौशिक जी का नाम पुकारे जाने पर वे सदन में उपस्थित नहीं थे।)

उत्तरांचल लोक सेवा आयोग के प्रथम वार्षिक प्रतिवेदन पर चर्चा

श्री अध्यक्ष–

चर्चा जारी रहेगी।

नियम–51 के अन्तर्गत सूचनायें

श्री अध्यक्ष–

आज नियम–51 के अन्तर्गत..........

श्री प्रकाश पंत–

मान्यवर, आज सत्र का अंतिम दिन है इसलिए मेरा अनुरोध है कि कृपया नियम–51 की सभी सूचनाओं पर सरकार का ध्यान आकर्षित कर दें।

श्री अध्यक्ष–

आज नियम–51 के अन्तर्गत श्री प्रीतम सिंह पंवार, श्री अजय भट्ट, श्री नारायण सिंह जंतवाल, श्री प्रकाश पंत, श्री महेन्द्र प्रसाद भट्ट, श्री विपिन चन्द्र त्रिपाठी, श्रीमती आशा नौटियाल एवं श्रीमती विजय बड़थ्वाल जी की कुल 8 सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। मैं इन सभी को शासन के ध्यानाकर्षण के लिए भेज रहा हूं।

संसदीय कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा ह्रदयेश)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करती हूं कि सदन को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया जाए।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि जो प्रस्ताव माननीया संसदीय कार्य मंत्री जी ने रखा है, से यह सदन सहमत है।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।)

राष्ट्र–गान

जन–गण–मन–अधिनायक जय हे।
भारत भाग्य विधाता।।

पंजाब सिंध गुजरात मराठा।
द्राविड़ उत्कल बंग।।

विंध्य हिमाचल यमुना–गंगा,
उच्छल जलधि तरंग।।

तव शुभ नामे जागे,
तव शुभ आशिष माँगे।।
गाहे तव जय गाथा।।

जन–गण–मंगलदायक जय हे,
भारत भाग्य विधाता।।

जय हे, जय हे, जय हे,
जय जय जय जय हे।।

श्री अध्यक्ष–

अब हम उठते हैं अनिश्चित काल के लिए।

(इसके बाद सदन 04 बजकर 20 मिनट पर अनिश्चितकाल के लिये स्थगित हो गया।)

देहरादून
दिनांक : 17 फरवरी, 2004

महेश चन्द्र,
सचिव, विधान सभा,
उत्तरांचल।

नत्थी 'क'

(देखिए अता0प्र0सं0–1 का उत्तर पीछे पृष्ठ सं0–20 पर)

उत्तरांचल की स्थानीय निकायों को शासन द्वारा राज्य वित्त आयोग एवं 11वें वित्त आयोग से वित्तीय वर्ष 2003–04 में निर्गत की गयी धनराशि का विवरण (10 फरवरी, 2004 तक)

क्र0सं0	संस्था/नाम	संस्तुत अनुदान				
		राज्य वित्त आयोग से वित्तीय वर्ष 2003–04 में कुल अवमुक्त धनराशि	प्रथम राज्य वित्त आयोग से घाटे की प्रतिपूर्ति वित्तीय वर्ष 2003–04 में कुल अवमुक्त धनराशि	प्रथम राज्य वित्त आयोग से नागरिक सेवा हेतु वर्ष 2003–04 के लिए सहायक अनुदान हेतु अवमुक्त धनराशि	11वें वित्त आयोग से वित्तीय वर्ष 2003–04 में अवमुक्त धनराशि	कुल योग (कॉलम संख्या 3 से 6 तक)
1	2	3	4	5	6	7
1.	नगर निगम, देहरादून	139731300			3600500	143331800
2.	नगर पालिका परिषदें	412159400	15970000		33620500	461749900
3.	नगर पंचायतें	73325800	834000	1500000	10279000	85938800
	योग	625216500	16804000	1500000	47500000	691020500
	नगर निगम, देहरादून	139731300			3600500	143331800
	योग	139731300			3600500	143331800
1.	न0पा0, विकासनगर	3890800	1706000		328319	5925119
2.	न0पा0, मसूरी	16250400			685539	16935939
3.	न0पा0, ऋषिकेश	18619300			1569175	20188475
4.	न0पा0, हरिद्वार	54536800			4602258	59139058
5.	न0पा0, रुड़की	30284900			2552503	32837403
6.	न0पा0, मंगलौर	13356100			1125043	14481143
7.	न0पा0, उत्तरकाशी	8101500			586809	8688309
8.	न0पा0, चमोली–गोपेश्वर	7442900			718316	8161216
9.	न0पा0, जोशीमठ	6595600			477623	7073223
10.	न0पा0, टिहरी	9525200			919829	10445029
11.	न0पा0, नरेन्द्रनगर	3120800			126121	3246921
12.	न0पा0, पौड़ी	18549400			89119	19444519
13.	न0पा0, श्रीनगर	7440400			718533	8158933
14.	न0पा0, दुगड्डा	1559600			70739	1630339
15.	न0पा0, कोटद्वार	7924400			667947	8592347
16.	न0पा0, पिथौरागढ़	15419000			1488983	16907983
17.	न0पा0, टनकपुर	4928700	786000		415757	6130457
18.	न0पा0, अल्मोड़ा	11439300	5780000		1107521	18326821
19.	न0पा0, बागेश्वर	3743400			282298	4025698
20.	न0पा0, नैनीताल	11981000	4520000		1013990	17514990

1	2	3	4	5	6	7
21.	न0पा0, रामनगर	14696200			1238568	15934768
22.	न0पा0, भवाली	1649500	2130000		139427	3918927
23.	न0पा0, हल्द्वानी	40268700			3396009	43664709
24.	न0पा0, गदरपुर	4256800			358640	4615440
25.	न0पा0, जसपुर	12188500			1026850	13215350
26.	न0पा0, काशीपुर	29016200			2445053	31461253
27.	न0पा0, बाजपुर	6804300			572804	7377104
28.	न0पा0, रुद्रपुर	27705800			2333080	30038880
29.	न0पा0, किच्छा	9532100			802509	10334609
30.	न0पा0, सितारगंज	6851200			577038	7428238
31.	न0प0, खटीमा	4480600	1048000		378100	5906700
	योग	412159400	15970000		33620500	461749900
1.	न0पंचा0, हरबर्टपुर	2887800			378620	3266420
2.	न0पंचा0, डोईवाला	2513900			329664	2843564
3.	न0पंचा0, झबरेड़ा	2929500			384192	3313692
4.	न0पंचा0, लक्सर	5698700			747245	6445945
5.	न0पंचा0, लण्ढौरा	5005500			656379	5661879
6.	न0पंचा0, बड़कोट	2285500			503554	2789054
7.	न0पंचा0, गंगोत्री	226500	18000	500000	50042	794542
8.	न0पंचा0, बद्रीनाथ	314400	206000	500000	69447	1089847
9.	न0पंचा0, नन्दप्रयाग	1874000			118333	1992333
10.	न0पंचा0, गौचर	2728500			600994	3329494
11.	न0पंचा0, कर्णप्रयाग	2615500			576056	3191556
12.	न0पंचा0, चम्बा	2466500			543273	3009773
13.	न0पंचा0, कीर्तिनगर	1873300	190000		85880	2149180
14.	न0पंचा0, देवप्रयाग	1872400	84000		177045	2133445
15.	न0पंचा0, मुनिकीरेती	2459800			322782	2782582
16.	न0पंचा0, रुद्रप्रयाग	3748800			185137	3933937
17.	न0पंचा0, केदारनाथ	179300	142000	500000	39554	860854
18.	न0पंचा0, धारचूला	2407500			530474	2937974
19.	न0पंचा0, डीडीहाट	1873500			396782	2270282
20.	न0पंचा0, चम्पावत	3748900			326838	4075738
21.	न0पंचा0, लोहाघाट	2183500	194000		481258	2858758
22.	न0पंचा0, द्वाराहाट	1873900			209993	2083893
23.	न0पंचा0, कालाढुंगी	1914500			250966	2165466
24.	न0पंचा0, लालकुंआ	2036800			267271	2304071
25.	न0पंचा0, भीमताल	1834900			240683	2075583
26.	न0पंचा0, महुवाडाबरा–हरिपुरा	1907900			250311	2158211
27.	न0पंचा0, महुआखेडागंज	2766800			362930	3129730
28.	न0पंचा0, सुल्तानपुर पट्टी	2408100			315981	2724081
29.	न0पंचा0, केलाखेडा	2430500			318849	2749349
30.	न0पंचा0, दिनेशपुर	2766300			362807	3129107
31.	न0पंचा0, शक्तिगढ	1492800			195660	1688460
	योग :	73325800	834000	1500000	10279000	85938800
	महायोग :	625216500	16804000	1500000	47500000	691020500

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 6 विधान सभा/423–13–12–2004–200 पुस्तकें (कम्प्यूटर/ऑफसेट)।